बिहार सरकार

तारकिशोर प्रसाद

उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री, बिहार

का

बजट भाषण

2021 - 2022

22 फरवरी, 2021

पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन
प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं।

– महात्मा गाँधी

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं राज्य का वित्तीय वर्ष 2021–22 का बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 का पुनरीक्षित बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हुँ।

बजट वर्तमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण तो पेश करता है साथ ही यह सरकार के आर्थिक कार्यावली (एजेन्डा) की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। वर्तमान वित्तीय परिवेश में सरकार की वित्तीय नीतियां एवं प्राथमिकताएँ क्या हो, इसके लिए हमने कृषकों, पशुपालकों, महिलाओं, छात्रों एवं युवाओं, औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों, सिविल सोसाइटीज आदि के द्वारा प्रदत बहुमूल्य सुझाव एवं विचारों को ध्यान में रखकर एक समावेशी विकास का बजट तैयार किया गया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय इस विकासोन्मुख बजट को एक नये नजरिये से देखने एवं समझने की आवश्यकता है।

''नजर को बदलो, तो नजारे बदल जाते हैं

सोंच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं

कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं

दिशा को बदलो तो किनारे

खुद ब खुद बदल जाते हैं।''

राज्य के समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आने वाले वर्ष में उठाये जाने वाले दूरगामी कदमों की रूप रेखा एवं ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व वर्ष 2020 में राज्य की आर्थिक स्थिति की एक सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना समीचीन होगा।

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020–21 का बजट तैयार करते समय किसी ने सोचा नहीं था कि वैश्विक महामारी कोविड–19, वित्तीय वर्ष 2020 को चुनौतियों भरा वर्ष बना देगा। कोविड–19 ने विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अभूतपूर्व तनाव में डाल दिया। देश में कोविड–19 की श्रृंखला तोड़ना आवश्यक था इसलिए गंभीर आर्थिक परिणाम को समझते हुए भी भारत सरकार द्वारा देश में पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। इससे देश के साथ बिहार में भी आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियाँ रूक सी गयी।

लेकिन हमारे लिए आम आदमी के स्वास्थ्य एवं जीवन की चिंता अति महत्वपूर्ण थी इसलिए भारत सरकार के साथ राज्य सरकार ने भी **''जान है तो जहान है''** के सिद्धांत का पालन करते हुए लॉकडाउन का अनुपालन किया तथा कोविड–19 को पराजित करने की पूरी तैयारी की गयी। भारत सरकार द्वारा कोविड–19 की श्रृंखला को तोड़ने हेतु लिये गये कठिन निर्णय के साथ राज्य सरकार एवं बिहार की जनता ने अतुलनीय सहयोग किया। राज्य की जागरूक जनता द्वारा कोविड–19 के निमित्त सभी नियमों एवं प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया गया।

राज्य में पूर्ण लॉकडाउन के कारण आम आदमी अपने घरों में सीमित हो गये। इससे गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक समस्या उत्पन्न हो गई। तत्काल आम आदमी की बुनियादी जरुरतों को पूरा करने के लिए समाज के संवेदनशील वर्गों यथा निर्धनों में निर्धनतम, वृद्धजनों, अन्य राज्यों में काम करनेवाले बिहार के श्रमिक भाईयों, महिलाओं एवं बच्चों आदि को सहारा देना आवश्यक था। अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में काम करने वाले राज्य के श्रमिक भाइयों की समस्याओं के कारण बिहार को अति चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। एक तरफ राज्य के लोगों का ख्याल रखना था तो दूसरी ओर अन्य राज्यों में काम करने वाले राज्य के श्रमिक भाइयों की चिन्ता भी थी। लेकिन हमने चुनौतियों से डट कर मुकाबला किया एवं इनका निदान भी किया। सीमित संसाधनों के बावजुद भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जैसे –

- राज्य के शहरी इलाकों में फँसे निर्धन एवं निराश्रित व्यक्तियों के आश्रय एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हेतु 27 मार्च 2020 से 2 जून 2020 तक सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में आपदा राहत केन्द्र का संचालन किया गया। इन केन्द्रों में 30 लाख से अधिक व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन कराया गया।

- राज्य से बड़ी संख्या में कामगार भाई रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं। लॉकडाउन के कारण अपने घर आने हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा कई विशेष रेलगाड़ियाँ बिहार भेजी गयी। बाहर से आनेवाले लोगों को अलग ठहराने हेतु प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर क्वारन्टाइन केन्द्र स्थापित किये गये जिसमें इन्हें 14 दिनों तक ठहराया गया। इनके खाने–पीने की व्यवस्था की गयी। 14 दिन के बाद राज्य सरकार द्वारा बसों से इन्हें अपने गृह प्रखंड ले जाया गया। इन केन्द्रों पर 14.82 लाख निबंधित अन्य राज्यों में काम करने वाले राज्य के श्रमिक एवं उनके परिवार ठहरे। इसी प्रकार राज्य की सीमाओं पर पहुंचने वाले एवं दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के श्रमिक एवं उनके परिवार के लिए आपदा राहत केन्द्र स्थापित किया गया। क्वारंटीन केन्द्रों में औसतन प्रति व्यक्ति 5,300 रूपये खर्च किए गये।

- कोरोना लॉकडाउन के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे गरीब लोगों को डी0बी0टी0 के माध्यम से 1.64 करोड़ राशनकार्डधारी के खाते में 1000 रूपये प्रति कार्डधारी अंतरित किया गया। इस मद में 1600 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया गया।

- लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर फंसे प्रवासियों के खाते में मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति व्यक्ति रू0 1000/– का भुगतान किया गया। कुल 20.95 लाख लोगों को डी0बी0टी0 के माध्यम से करीब 210 करोड़ रूपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की गयी।

- बहुत से श्रमिकों को विशेष श्रमिक रेलगाड़ी द्वारा राज्य में लाया गया। राज्य सरकार द्वारा टिकट भाड़ा तथा यात्रा मद में व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति न्यूनतम रू0 1000/– का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल 10.71 लाख कामगारों को 121.37 करोड़ रूपये वितरित किये गये।

- राज्य के वृद्धजनों को कोरोना अवधि में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इसलिए राज्य सरकार द्वारा तीन महीने का वृद्धापेंशन अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया।

- राज्य में कोरोना संक्रमण के खतरा से निपटने हेतु संक्रमित लोगों की पहचान आवश्यक था। राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 जाँच अभियान के रुप में प्रारंभ किया गया। जाँच के बाद कोविड पोजिटिव मरीजों को पृथकवास में रखा गया एवं उनको मुफ्त में दवा भी दी गई। 12 सरकारी लैब (राजेन्द्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीच्यूट पटना, एम्स पटना, इन्दिरा गॉधी इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईन्स पटना, पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल पटना, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल मुजफ्फरपुर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल दरभंगा, अनुग्रह नरायण मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल गया, जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल भागलपुर, जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल मधेपुरा, राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बेतिया, वर्द्धमान मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, पावापुरी एवं नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल पटना) में RT-PCR जाँच की व्यवस्था की गयी है। कोविड–19 की रोकथाम हेतु बिहार में आंकड़ों के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1.72 लाख लोगों की जांच की गयी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक जाँच करने एवं जाँच रिपोर्ट देने की व्यवस्था की गई है। राज्य के सभी 6 निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में भी RT-PCR जाँच की व्यवस्था की गयी है। यही कारण है कि राज्य में कोविड–19 के रिकवरी रेट में क्रमशः सुधार हो रहा है। वर्तमान में बिहार राज्य का रिकवरी रेट 99% से अधिक है। बिहार राज्य में कोविड–19 के मरीजों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम 0.58% है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी, प्रशासनिक तंत्र, बैंककर्मी, बिजलीकर्मी, स्वयंसेवी संगठन आदि की सजगता एवं अथक परिश्रम से राज्य में कोविड–19 का संक्रमण दर और मृत्यु–दर काफी कम रहा तथा संक्रमण से स्वस्थ होने की दर भी अधिक रही। इस हेतु मैं आपके माध्यम से सभी कोरोना योद्धाओं को उनके अमूल्य एवं साहसिक योगदान के लिए प्रशंसा करता हूँ तथा उन्हें एवं उनके परिवार के प्रति यह सम्मानित सदन हृदय से आभार व्यक्त करता है। अदम्य सेवाभाव के सम्मान के रूप में राज्य सरकार द्वारा राज्य के चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों को एक माह का मूल वेतन उनके वेतन के अतिरिक्त भुगतान किया गया।

अध्यक्ष महोदय विपत्ति और बाधाओं से हम घबराते नहीं हैं। राज्य के कल्याण के लिए विपरित परिस्थितियों में हम मिलकर सतत् संघर्ष करते हैं क्योंकि यही जीवन का ध्येय है। इस अवसर पर हम अपने प्रिय नेता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी जी की कविता को याद करना चाहते हैं।

''बाधाएँ आती हैं आए,

घिरे प्रलय की घोर घटाएं,

पाँवों के नीचे अंगारे,

सिर पर बरसें यदि ज्वालाएँ,

निज हाथों में हँसते–हँसते,

आग लगा कर जलना होगा,

कदम मिलाकर चलना होगा।''

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड–19 से सफलतापूर्वक संघर्ष करते हुए चुनौतीपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक संकट से हम बाहर निकले हैं। लॉकडाउन के कारण समस्याग्रस्त आम आदमी, उद्योग एवं व्यापार, किसान, श्रमिक, पशुधन आदि सभी प्रक्षेत्रों को सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा तीन चरणों में करीब 27.10 लाख करोड़ रूपये का आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई। इस महती आर्थिक मदद से बिहार को भी बहुत लाभ हुआ। कोरोना संकट अभी पूर्णतः टला नहीं है। संकट के स्थायी निदान हेतु हमारे वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता एवं वैक्सिन निर्माता कंपनियाँ वैक्सिन बनाने की दिशा में लगातार कार्य करते रहे। उनके प्रयास से कोरोना के समूल निदान हेतु भारत ने दो–दो वैक्सिन बना लिए एवं विश्व में अपना स्थान स्थापित किया। कोविड वैक्सिन निर्माण में हमारे वैज्ञानिकों एवं कंपनियों ने जो अमूल्य उपलब्धि प्राप्त की है उससे यह प्रमाणित होता है कि प्रत्येक विपदा नये अवसर की जन्मदात्री होती है एवं इससे यह भी साबित होता है कि अंधकार के बाद नयी आशा एवं अवसर के साथ सवेरा आता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस महती उपलब्धि के लिए मैं देश के

अनुसंधानकर्ताओं/वैज्ञानिकों /कंपनियों को उनके कठिन परिश्रम एवं लगन के लिए तथा कुशल मार्गदर्शन तथा सतत् एवं अथक सहयोग के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हुँ।

राज्य में कोविड–19 का वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसके तहत प्रथम चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मी एवं सुरक्षा कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है।

विकसित बिहार के लिए सात निश्चय योजना की उपलब्धियाँ

अध्यक्ष महोदय, बिहार के सतत विकास के लिए वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के सात लक्ष्य–**आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण–घर का सम्मान, अवसर बढ़े–आगे पढें** निर्धारित किये गये। विगत पाँच वर्षों में कठिन परिश्रम एवं सतत् अनुश्रवण के बल पर हमने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धियाँ प्राप्त की है। सात निश्चय योजना के अंतर्गत अबतक की उपलब्धियों को आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हुँ।

पहला निश्चयः आर्थिक हल, युवाओं को बल के अंतर्गत उपलब्धियाँ

- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 1,15,116 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। कुल स्वीकृत ऋण राशि 2995 करोड़ रूपये है। कुल वितरित ऋण की संख्या 1,09071 एवं वितरित ऋण राशि 1,495 करोड़ रूपये है। अब तक 1,02,871 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत हुए हैं।

- **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना** के अंतर्गत 5,04,824 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है। अब तक कुल 4,79,980 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है तथा 630 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है।

- **कुशल युवा कार्यक्रम** के अंतर्गत 17,05,398 (Self Help Assistance सहित) आवेदनों को प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। अब तक कुल 10,04,147 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा 1,12,092 प्रशिक्षणरत हैं। वर्तमान में राज्य के सभी 534 प्रखंडों में 1,609 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। अभी तक इस कार्यक्रम पर 702 करोड़ रूपये व्यय हुआ है।

दूसरा निश्चयः आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार अभियान के तहत राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कर दी गयी है।

तीसरा निश्चयः हर घर बिजली योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों को विद्युत सम्पर्क उपलब्ध कराया गया है।

चौथा निश्चय : हर घर नल का जल के तहत उपलब्धियाँ

- इसके तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 58,167 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 56,143 (95.78 प्रतिशत) वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कुल लक्षित घरों में से 86.36 लाख घर आच्छादित किए गए है।

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 26,272 गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 25,559 वार्डों में कार्य पूर्ण और गुणवत्ता प्रभावित 30,272 वार्डों में से कार्य प्रारंभ कर 26,583 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके तहत कुल 70.10 लाख घरों को आच्छादित किए गए हैं।

- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 3,370 वार्डों में कार्य प्रारम्भ कर 2,101 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके तहत 10.26 लाख घर आच्छादित किए गए हैं।

पाँचवाँ निश्चय : घर तक, पक्की गली नालियां

- इसके तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 1,14,469 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 1,14,248 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके तहत 176.61 लाख घर आच्छादित किए गए हैं।

- शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 3340 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 2,735 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके तहत 6.86 लाख घर आच्छादित किए गए हैं।

- ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत सभी 4643 टोलों के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस योजना के तहत 3884.23 कि0मी0 सड़क का निर्माण पूर्ण करते हुए 4532 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई है।

छठा निश्चय : शौचालय निर्माण–घर का सम्मान

- इस निश्चय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी 8,386 पंचायत ओ0डी0एफ0 घोषित एवं 123.27 लाख घर आच्छादित किए गए हैं। सभी 534 प्रखण्ड, 101 अनुमंडल तथा सभी 38 जिला ओ0डी0एफ0 घोषित किए गए हैं।

- शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कुल 3.82 लाख वैयक्तिक शौचालय एवं 13,656 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। सभी 3367 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकायों को ओ0डी0एफ0 घोषित किया गया है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके यहाँ शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। ऐसे प्रत्येक परिवार को एक शौचालय की चाबी दी गई है।

सातवाँ निश्चय : अवसर बढ़े, आगे पढ़ें के तहत राज्य में निर्धारित लक्ष्य 54 के विरूद्ध 36 अनुमंडलों में ए0एन0एम0 संस्थान खोला गया है तथा शेष पर कार्य चल रहा है। 23 चयनित जिले में से 12 में जी0एन0एम0 संस्थान स्थापित किया गया है तथा शेष में कार्य चल रहा है। 28 जिलों में पारा मेडिकल संस्थान खोले जाने के लक्ष्य के विरूद्ध 12 संस्थान खुल चुके हैं। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जानी है जिसमें से 3 में स्थापित कर दिया गया है। 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में बी0ए0सी0 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गयी है। 3 नये मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु राज्य में 14 पोलिटेक्निक संस्थान, 11 अभियंत्रण महाविद्यालय, 9 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण, संस्थान और 32 अनुमंडल स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं और अन्य पर कार्रवाई चल रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में लंबित कार्य को पूर्ण किया जाएगा।

सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 योजना

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के बहुमुखी विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एक उपलब्धि हमें दुसरे प्रयास के लिए प्रेरित करती है।

''खग! उड़ते रहना जीवन भर,

मत डर प्रलय झकोरों से तू,

बढ़ आशा हलकारों से तू,

क्षण में यह अरि–दल मिट जायेगा,

तेरे पंखों से पिस कर,

खग! उड़ते रहना जीवन भर।''

विकसित बिहार के लिए सफलतापूर्वक क्रियान्वित सात निश्चय–1 की उपलब्धियाँ उत्साहवर्धक रही है।

हमारी सरकार योजना बनाकर विकसित बिहार के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है इसलिए सात निश्चय–1 के बाद हमने अगले 5 वर्षों के लिए **आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2** पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। सरकार द्वारा अगले पाँच वर्षों (2020 से 2025) के लिए सात निश्चय–2 योजना अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के चतुर्दिक विकास के लिए सात लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न योजनाएँ बनाई गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में सात निश्चय–2 योजना के लिए 4671 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना की प्रारंभिक तैयारी कर ली गयी है तथा वर्ष 2021–22 से इन सभी निश्चय योजनाओं पर कार्य आरम्भ होगा । सात निश्चय–2 के अंतर्गत सात लक्ष्य निर्धारित किये गये हैः–

1. युवा शक्ति, बिहार की प्रगति
2. सशक्त महिला, सक्षम महिला
3. हर खेत तक सिंचाई का पानी
4. स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव
5. स्वच्छ शहर–विकसित शहर
6. सुलभ सम्पर्कता
7. सबके लिये अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा

युवा शक्ति – बिहार की प्रगति

युवक समाज के भविष्य निर्माता होते हैं। युवा उर्जा शक्ति एवं अनुशासन से ही समाज का सार्थक एवं बहुमुखी विकास संभव होता है। इतिहास गवाह है कि विभिन्न देशों एवं कालखंडों में युवाओं ने समाज की दिशा बदल दी है। इसलिए युवाओं के शिक्षा, शिक्षुता एवं युवा उद्यमिता विकास पर हमारा विशेष ध्यान है ताकि हमारे युवा बाजार की माँग के अनुरुप आधुनिक तकनीक वाले रोजगार/स्वरोजगार से जुड़ सकें।

सात निश्चय–1 के तहत बिहार के युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद करने हेतु स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कम्प्यूटर, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु कुशल युवा जैसे कार्यक्रमों को चलाया गया है। ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। अब इनके साथ साथ युवाओं के लिए और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। साथ ही बिहार में उद्यमिता को और बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कि युवा स्वयं उद्यमी बन सके और अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके।

संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना

बाजार की माँग के अनुरुप आधुनिक तकनीक वाले प्रशिक्षण संस्थानों की आवश्यकता है। इसके लिए पुराने एवं नवसंस्थापित राजकीय आईटीआई एवं पोलीटेक्निक संस्थानों को भी आधुनिक बनाया जायेगा। पिछले पाँच वर्षों में जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर कई संस्थानों का निर्माण कराया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब राज्य के प्रत्येक राजकीय आई0टी0आई0 एवं पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाया जाएगा। इनमें राजकीय आई0टी0आई0 एवं पॉलीटेक्निक में पढ़ रहे बच्चों को वर्तमान उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उच्चस्तरीय एवं नई तकनीक वाले क्षेत्रों में, जिनकी बाजार में ज्यादा मांग है यथा सोलर, ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग, ट्रांसफॉर्मर मैनुफैक्चरिंग, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों की बाजार में मांग रहेगी तथा इन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

हर जिले में मेगा–स्किल सेन्टर (मार्गदर्शन, नयी स्किल में प्रशिक्षण)

आई0टी0आई0 एवं पोलिटेक्निक संस्थानों से शिक्षा नहीं प्राप्त करने वाले युवक भी काफी हुनरमंद होते हैं। उनके स्किल को व्यवस्थित दिशा में संवारने हेतु उचित मार्गदर्शन एवं लघु प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए वैसे युवा जो आई0टी0आई0 एवं पॉलीटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं और नए कौशल का प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उनके लिए हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। यहाँ पर लोकप्रिय एवं उपयोगी स्किल्स यथा एपरल मेकिंग, रेफ्रिजेरेटर, एयरकंडिशनिंग, सोलर पैनल मैकेनिक, ब्यूटी एवं वेलनेस ट्रेनिंग, बुजुर्गों एवं मरीजों की देखभाल जैसे क्षेत्रों में अल्प अवधि का रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनकी बाजार में मांग रहती है।

टूल रूम (हर प्रमण्डल में)

हमारे युवाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की पहुँच उच्च तकनीक वाले आधुनिक यंत्रों एवं टूल्स तक नहीं होती है इसलिए जिज्ञासा एवं क्षमता रहने के बावजुद भी उनका हुनर विकसित नहीं हो पाता है। आवश्यकता है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे आधुनिक मशीन और टूल्स के माध्यम से उन्हें उनके घर के पास प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। इसलिए प्रत्येक प्रमण्डल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। टूल रूम में कई क्षेत्रों में नवीन एवं अत्याधुनिक मशीनें एक स्थान पर उपलब्ध रहेगी। इनमें आई0टी0आई0 एवं पॉलीटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अत्याधुनिक मशीनों पर नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। 10वीं एवं 12वीं पास युवकों के लिए भी इनमें दीर्घकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इनसे प्रशिक्षण पाने के पश्चात् युवाओं को उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में रोजगार मिलने में सहूलियत होगी।

सात निश्चय–2 के लिए श्रम संसाधन विभाग के वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपबंधित राशि 550 करोड़ रूपये से इन अतिमहत्वपूर्ण योजनाओं पर व्यय किया जायेगा।

स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग (आई0टी0आई0 / पॉलीटेक्निक सहित)

वर्तमान में आई0टी0आई0 का संचालन श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलीटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के द्वारा किया जाता है। इससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना कठिन होता है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देने हेतु एक अलग विभाग, **स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग** का गठन किया जाएगा जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई0टी0आई0) और पॉलीटेक्निक संस्थानों को समाहित किया जाएगा। उद्यमिता को बच्चों के कोर्स करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा जिससे कि राज्य में उद्यमिता संस्कृति का और विकास हो सके। युवाओं को अपना व्यवसाय अथवा उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे स्वयं उद्यमी बने तथा साथ में दूसरों को भी रोजगार दे सकें।

केन्द्र सरकार की योजना के तहत तकनीकी शिक्षा हिन्दी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

बिहार में चिकित्सा शिक्षा एवं अभियंत्रण शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्टस एकेडमी के साथ राजगीर के खेल परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

पोलिटेक्निक संस्थानों में 'सेंटर ऑफ एक्सिलेंस' की स्थापना तथा अभियंत्रण महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन हेतु स्थापित किये जाने वाले अभियंत्रण विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के बजट में 110 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

उद्यमिता विकास हेतु अनुदान / प्रोत्साहन

पूंजी के अभाव में स्किल्ड एवं समर्थ युवा भी नया उद्यम स्थापित नहीं कर पाते है। जबकि आज रोजगार पाने वालों से रोजगार देने वाले युवकों को आगे लाने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें आर्थिक अनुदान और कम ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराने की जरूरत है। इसलिए युवाओं के लिए न सिर्फ उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है बल्कि उनको अपना उद्यम / व्यवसाय लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। नया उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 5 लाख रूपये

तक का अनुदान दिया जाएगा तथा अधिकतम 5 लाख रूपये का ऋण मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाएगा।

वर्ष 2020–2025 में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नये अवसर सृजित किए जाएँगे।

इस हेतु उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2021–22 में 200 करोड़ रूपये के व्यय का उपबंध किया गया है।

सशक्त महिला, सक्षम महिला

महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना

हमारी सरकार द्वारा रोजगार में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अपने स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याजरहित पूंजी उपलब्ध करायेगी। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी जिसमें उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रूपये तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रूपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा।

इस हेतु उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2021–22 में इन योजनाओं पर 200 करोड़ रूपये के व्यय का उपबंध किया गया है।

उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन

हमारी सरकार द्वारा लड़कियों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए साईकिल एवं पोशाक दिया गया है। अब लड़कियां हाई स्कूल की शिक्षा के लिए घर से दूर स्थित उच्च विद्यालयों में भी पढ़ने जा रही है। हाई स्कूल के बाद उच्च शिक्षा के प्रति महिलाओं में जागरूकता एवं अभिरूची पैदा करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इन्टर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को रू0 25,000 तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को रू0 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में शिक्षा विभाग के बजट में 600 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। लेकिन अभी भी कार्यालयों में समानुपातिक अनुपात में महिलाओं की संख्या कम है। इसलिए क्षेत्रीय प्रशासन यथा पुलिस थाना, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

हर खेत तक सिंचाई का पानी

कृषि प्रधान राज्य में कृषि उत्पाद में वृद्धि एवं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण साधन है। हमने विगत वर्षों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की है जिससे राज्य के बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई की सुविधा किसानों को प्राप्त हो रही है। अब आवश्यकता है कि प्रत्येक खेत में किसी न किसी एक माध्यम से सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसलिए हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना कृषि विभाग, उर्जा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा। इस संबंध में प्राथमिक सर्वेक्षण का काम कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कृषि विभाग के बजट में इस कार्य हेतु 50 करोड़ रूपये, उर्जा विभाग के बजट में 300 करोड़ रूपये, लघु जल संसाधन विभाग के बजट में 100 करोड़ रूपये तथा जल संसाधन विभाग के बजट में 100 करोड़ रूपये कुल 550 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव

सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाईट

हमारी सरकार की सोच है कि गाँव की गलियां एवं सड़कें शहरों की तरह जगमग करती रहे इसलिए सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने की योजना सात निश्चय–2 में प्रारंभ की गयी है। लगाये गये सोलर स्ट्रीट लाईट के नियमित अनुरक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी।

इन कार्यों में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए पंचायती राज विभाग के बजट में वित्तीय वर्ष 2021–22 में 150 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

गाँवों में प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के कारण सफाई के प्रति लोगों में उत्साह और सकारात्मक सोच

उत्पन्न हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी घरों से विभिन्न प्रकार के ठोस और तरल अपशिष्ट निकलते हैं जिनसे गाँवों में गंदगी फैलती है। ग्रामीण स्तर पर इससे एक तरफ जहां बिमारी का खतरा बना रहता है वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड स्तर पर नालों एवं गलियों की सफाई कराई जाएगी। प्रत्येक घर से ठोस कचरे का संग्रहण किया जायेगा तथा उनका उपयुक्त तकनीक के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। नालों के अंत में निकले हुए गंदे जल का उपयुक्त तकनीक के माध्यम से ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जायेगी।

मलजल तथा सफाई का कार्य ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित लोहिया स्वच्छता योजना–2 के अन्तर्गत किया जायेगा। इस हेतु विभाग के वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट में 50 करोड़ रूपये का बजट उपबंध किया गया है।

पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण

विगत कई वर्षों में सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है और इसके तहत परिसंपतियों का सृजन हुआ है। मरम्मती और रख–रखाव के अभाव में ये संपत्तियां शीघ्र नष्ट हो जाती है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत सात निश्चय–1 के तहत पूर्व से निर्मित योजनाओं यथा हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली–नालियां एवं हर घर शौचालय आदि की योजनाओं का पूरा रख–रखाव किया जाएगा।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अतंर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट में 400 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास

गांवों की समृद्धि का आधार कृषि एवं पशुधन है। दुग्ध उत्पादन मुर्गीपालन मछलीपालन जैसे व्यवसाय गांवों में रोजगार के साधन होते हैं, जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि होती है। इसके लिए हमें ग्रामीणों को नई तकनीक से उक्त व्यवसाय करने में सहायता देनी होगी। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गीपालन, मछलीपालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में स्थिर चौर क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जाएगा। साथ ही अन्य क्षेत्रों में तालाबों, पोखरों एवं बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रसार किया जाएगा तथा मछली पालन के पूरे उत्पादन श्रृंखला पर काम किया जाएगा। मछली उत्पादन को इतना बढ़ाया जाएगा कि बिहार की मछली अन्य राज्यों में जाएगी। इससे राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ेगी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पशुपालन विभाग के बजट में सात निश्चय–2 योजना के लिए उपबंधित राशि 500 करोड़ रूपये इन योजनाओं पर व्यय किया जायेगा।

स्वच्छ शहर–विकसित शहर

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

घनी आबादी के कारण शहरी घरों से ठोस और तरल अपशिष्ट बड़ी मात्रा में निकलते हैं जिनसे बिमारी और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। इसलिए बिहार के सभी शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपयुक्त तकनीक के माध्यम से की जायेगी।

शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन

शहरी क्षेत्र में बिना भूमि और घर वाले बेसहारा लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं जिन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवासन योजना के अंतर्गत शहर में रह रहे बेघर/भूमिहीन गरीब लोगों को बहुमंजिला भवन बना कर आवासन उपलब्ध कराया जायेगा।

सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण

अध्यक्ष महोदय, मृत्यु के बाद शवदाह संस्कार हमारे समाज की एक महती परंपरा रही है। पार्थिव शरीर को समाज के लोग अपने कंधों पर लेकर पवित्र नदियों के किनारे दाह–संस्कार के लिए ले जाते हैं लेकिन घाटों पर नागरिक सुविधाओं के अभाव से सभी को कष्ट होता है। पार्थिव शरीर को आग से जलाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है तथा वृक्षों की कटाई में भी वृद्धि होती है। इसलिए हमारी सरकार का निर्णय है कि सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृहों सहित मोक्षधाम का निर्माण कराया जाएगा जिससे लोगों को वहाँ पर दाह संस्कार हेतु जरूरी सुविधाएँ मिल सकें।

सभी शहरों में स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जायेगा जिससे कि जल–जमाव की कोई समस्या न हो।

इन योजनाओं के लिए नगर विकास विभाग के बजट में 450 करोड़ रूपये का बजट उपबंध किया गया है।

वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल

महोदय, समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा टूट रही है। इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाला वर्ग हमारे सम्मानित वृद्धजन होते हैं। शहरी क्षेत्र के वृद्धजनों को अकेलापन का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को ठीक करने हेतु सरकार की तरफ से वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण करने की योजना

है। इसके अंतर्गत वृद्धजनों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाया जाएगा तथा इसके बेहतर प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था की जाएगी।

इस हेतु समाज कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2021–22 में 90 करोड़ रू0 व्यय करने का प्रस्ताव है।

सुलभ संपर्कता

ग्रामीण पथों की संपर्कता

ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे बसावट और गांव है जिनका संपर्क प्रखंड स्तरीय कार्यालयों, अस्पतालों, राज्य उच्च पथों तथा राष्ट्रीय उच्च पथों से नहीं है। ऐसे ग्रामीणों को बरसात के मौसम में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे गांवों को प्रखंड स्तरीय कार्यालयों और उच्च पथों से जोड़ने के लिए गांव में संपर्क सड़क बनाने की आवश्यकता है। इसलिए सुलभ संपर्कता योजना के अंतर्गत आस–पास के गांवों को जोड़ते हुए मुख्य पथों एवं महत्वपूर्ण स्थानों (प्रखंड/थाना/अनुमंडल) अथवा महत्वपूर्ण सुविधाओं यथा बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथों तक सम्पर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

इस योजना पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 250 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण

राज्य के प्रत्येक शहर में जनसंख्या वृद्धि एवं वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण भयानक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। शहर के बाहर से बाईपास नहीं होने या कई स्थानों पर पुल/फ्लाईओवर नहीं रहने के कारण बड़े बड़े वाहन मुख्य शहर से होकर गुजरते हैं जिससे जाम की समस्या विकराल हो जाती है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा।

इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में पथ निर्माण विभाग द्वारा 200 करोड़ रूपये का व्यय किया जायेगा।

सबके लिये अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा

बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ

ग्रामीण समाज में पशुधन एवं मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का स्वास्थ्य उत्तम रहे इसी में दोनों का कल्याण है। लेकिन पशुओं में विभिन्न प्रकार की बिमारी पायी जाती है। आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर आधारभूत संरचना को व्यवस्थित करके पशुओं के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था करने की जरूरत है। इस योजना के तहत कॉल सेन्टर एवं मोबाइल एप की मदद से डोर स्टेप सेवा की व्यवस्था–प्रत्येक 8–10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जाएगी। लोकल कॉल सेन्टर में फोन कर अथवा मोबाईल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त किया जा सकेगा। टेलिमेडिसिन के माध्यम से भी पशु अस्पताल से जुड़े रहेंगे जिनसे चिकित्सा परामर्श दिया जा सकेगा और आवश्यकतानुसार मोबाईल यूनिट्स के माध्यम से पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के द्वारा लोगों के घरों में पहुँचकर पशु चिकित्सा एवं अन्य सेवाएँ दी जाएगी। पशुओं की सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएँ निःशुल्क रहेंगी।

गोवंश संरक्षण एवं संवर्द्धन हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है और संविधान का नीति निदेशक तत्व भी यही कहता है। देशी गाय का दुध अधिक पौष्टिक एवं शुद्ध होता है। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि देशी गाय एवं गाय के बच्चे का संरक्षण और संवर्द्धन किया जाय। इसलिए देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बजट में इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रू0 का बजट प्रावधान किया गया है।

गांव–गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता

अध्यक्ष महोदय स्वास्थ्य सदा से राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है। राज्य सरकार द्वारा विगत कई वर्षों में स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है। लेकिन कोविड–19 महामारी ने स्वास्थ्य सुविधाओं के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया है। हमें महामारी से निपटने हेतु विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को मिशन मोड में तैयार रखना होगा। इसमें बीमारी की जाँच एवं ईलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित कर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएंगी तथा इन्हें टेलीमेडिसीन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा और लोगों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डायबिटीज, उच्च रक्तचाप तथा मोतियाबिंद आदि बीमारियों हेतु स्क्रीनिंग की जाएगी एवं गंभीर बीमारी के मामलों को रेफर किया जाएगा। इसके साथ ही पैथोलॉजिकल जांच हेतु सैम्पल एकत्र कर उनकी जांच की भी व्यवस्था की जाएगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर एवं विस्तारित किया जाएगा।

हृदय में छेद के साथ जन्में बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाएगी तथा इसके लिए नई योजना **''बाल हृदय योजना''** लागू कर दी गई है।

उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट में 300 करोड़ रूपये का बजट उपबंध किया गया है।

इसके अतिरिक्त सात निश्चय–2 में निम्नलिखित कार्यक्रम को भी लागू किया जाएगाः–

- विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउन्सलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।

- दलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर दलहन की खरीद की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा।

- राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटाबेस संधारित किया जाएगा।

- राज्य सरकार के द्वारा बिहार के विकास एवं लोगों के कल्याण हेतु पूर्व से संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा।

विभागवार बजट प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपके माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए प्रस्तावित बजट राशि एवं महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी सदन के समक्ष रखता हूँ।

कृषि विभाग

राज्य की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि राष्ट्र जीवन के मुख्य अधिष्ठान है। किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण करने, उर्वरक उपलब्ध कराने तथा मशीनीकरण को बढ़ावा देने के कारण एक तरफ जहाँ राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है वही दूसरी तरफ किसानों के लागत खर्च में कमी आयी है। इससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कृषि उत्पादक कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा खेत के स्तर पर आधारभूत संरचना के विकास के लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

- कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इसलिए कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 2017 से 2022 तक के लिए तीसरे कृषि रोड मैप को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें 1.54 लाख करोड़ रू० व्यय किये जायेंगे। कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के फलस्वरूप फसलों की औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- कृषि का आधार बीज है। गुणवत्तापूर्ण बीज के उपयोग से ही कृषि उत्पाद में वृद्धि होती है। इसलिए कृषि रोड मैप के तहत फसलों के आधुनिक बीज के उपयोग को बढ़ावा हेतु किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत सभी राजस्व गाँव के 05 किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर धान एवं गेंहूँ के आधुनिक प्रभेद के बीज उपलब्ध कराये गये हैं। एकीकृत बीज ग्राम योजना के अंतर्गत प्रखंड के चुने गये गाँव के सभी इच्छुक किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2020 में किसानों को घर तक बीज उपलब्ध कराने की एक नूतन पहल शुरू की गयी।

- मौसम का प्रभाव कृषि पर पड़ता है। फसलों का मौसम से अनुकूलन नहीं होने पर फसल नष्ट हो जाते है एवं किसानों को हानि होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए किसानों को मौसम के अनुकूल कृषि की जानकारी देने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए नयी फसल पद्धति का प्रत्यक्षण बड़े पैमाने पर किसानों के खेत में वैज्ञानिकों के देखरेख में लगाये जा रहे हैं। इन फसल पद्धतियों को अपनाकर किसान जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर सकेंगे।

- खेत में अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा में प्रदूषण उत्पन्न होता है तथा मृदा की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए जैविक खेती जिसमें रसायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है, को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। गंगा नदी के किनारे के 13 जिलों को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है जिसमें जैविक खेती की प्रधानता दी जायेगी। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत सहकारी समितियों एवं फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के रूप में निबंधित किसानों को जैविक खेती के लिए 11500 रूपये प्रति एकड़ की दर से अग्रिम सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजे गये हैं। राज्य सरकार किसानों को निःशुल्क जैविक प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान कर रही है।

- राज्य के कुछ जिलों में पुआल जलाने की गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम वाली समस्या से मुक्ति हेतु फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयुक्त कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार द्वारा 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। फसल अवशेष के प्रभावकारी प्रबंधन हेतु वर्ष 2021–22 में सरकारी संस्थानों के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दिया जायेगा, जिससे पुआल का वैकल्पिक उपयोग होगा तथा किसान इसे नहीं जलायेंगे।

- राज्य में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत मखाना विकास, सहजन क्षेत्र का विकास, शेड नेट में पान की खेती, बाग उत्थान कार्यक्रम तथा बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास योजना शुरू की गयी। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत मखाना, फल एवं सब्जी, शहद, औषधीय एवं सुगंधित पौधे, चाय तथा बीज पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत निवेशकों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तथा किसान उत्पादक कम्पनी को 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।

- किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक में प्रशिक्षण देने के लिए किसान चौपाल, किसान मेला, किसान पाठशाला एवं किसानों का परिभ्रमण कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक किसानों तक आधुनिकतम कृषि तकनीक का प्रचार प्रसार किया जा सके।

- वितीय वर्ष 2021–22 में कृषि रोड मैप के विभिन्न कार्यक्रमों पर बल दिया जायेगा। जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम को प्राथमिकता के कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा तथा इसे एक स्थायी योजना का स्वरूप दिया जायेगा। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए नये कृषि महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे तथा विश्वविद्यालय से नीचे के स्तर पर विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था में कृषि के प्रति अभिरूचि बढ़ायी जायेगी तथा नये सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किये जायेंगे। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत फारमर्स प्रोड्यूसर कम्पनी के प्रोत्साहन पर विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इसके लिए बिहार एग्री वैल्यू चेन सिस्टम तथा बिहार लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को सुदृढ़ किया जायेगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेत के स्तर पर आधारभूत संरचना के विकास के लिए कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

इन उद्देश्यों के प्राप्ति एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्कीम मद में 2533.88 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 801.5943 करोड़ रूपये कुल 3335.47 करोड़ रूपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

राज्य के बहुमुखी विकास के लिए पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु पशुपालन, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि पेशा का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे हमारा ग्रामीण समाज स्वआश्रित भी बनता है। इसलिए पशुओं के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु उनके स्वास्थ्य की देखभाल की कई योजनाएँ चलायी जा रही है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने एवं ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन में मत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2021–22 के लिए इस विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्न प्रकार है :–

- पशुओं के स्वास्थ्य एवं बीमारियों से रोकथाम हेतु खुरहा एवं मुँह पका रोग (FMD), गलाघोंटू (HS) एवं लंगड़ी बुखार (BQ) रोग, भेड़–बकरियों की सुरक्षा हेतु पी०पी०आर० (PPR) रोग के विरूद्ध टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जायेगा।

- राज्य के सभी पशुओं के पहचान हेतु इयर टैगिंग का कार्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इससे राज्य के सभी पशुओं को टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, अंतः कृमिनाशन (deworming) से पूर्ण रूप से आच्छादित करना संभव हो सकेगा। इसके साथ ही इयर टैगिंग पशुपालकों को विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने में सहायक साबित होगा।

- पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से 84.2748 करोड़ रूपये की लागत से मरंगा, पूर्णिया में नया सीमेन स्टेशन स्थापित किया गया है।

- राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में कॉम्फेड के माध्यम से पशुपालकों को राज्य सरकार के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। अगले तीन वर्षों में वर्तमान प्रसंस्करण की क्षमता को दुगुना किया जाएगा।

- भारत सरकार के द्वारा राज्य में मात्स्यिकी के समग्र विकास हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की स्वीकृति अगले पाँच वर्षों यानि वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक प्रदान की गयी है। इस योजना के तहत मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता, आधारभूत संरचना एवं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना यथा– मत्स्य हैचरी का निर्माण, तालाब/रिपेयरिंग का निर्माण, बायोफ्लॉक, आर०ए०एस०, कोल्ड चेन, केज कल्चर, चौर विकास की योजना, वेटलैंड सटॉकिंग आदि का कार्य किया जाना है। वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने इस योजना को बिहार में लागू करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

- सुशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के तहत विभिन्न कार्यक्रम एवं विकासात्मक योजनाएँ वर्ष 2021–22 में संचालित किया जाना है जिसकी चर्चा मैंनें पूर्व में की है।

- बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधीन किशनगंज में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के आधारभूत संरचना का निर्माण किया जायेगा।

- राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए कृषकों, बेरोजगार युवक–युवतियों को समग्र गव्य विकास योजना के तहत ऋण–सह अनुदान पर डेयरी फार्मिंग योजना के माध्यम से सशक्तिकरण करना और उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित किया जाएगा।

- केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना एवं राष्ट्रीय पशु प्रबंधन कार्यक्रम की योजना का राज्य में कार्यान्वयन किया जाएगा।

पशुधन विकास, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थतंत्र को मजबूत एवं गतिशील बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्कीम मद में 1176.96 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में 384.76 करोड़ रूपये कुल 1561.72 करोड़ रूपये प्रस्तावित है जो विगत वर्ष की तुलना में 32.47 प्रतिशत अधिक है।

सहकारिता विभाग

कृषि उत्पादों के भंडारण एवं संरक्षण की सुविधा नहीं रहने के कारण किसान अपने उत्पाद को सस्ते दर पर तुरंत बेच देना चाहते हैं। भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने के उदेश्य सहकारिता विभाग के द्वारा गोदामों का निर्माण कराया जाता है। सहकारिता खेती को बढ़ावा देने के लिए तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीद सुनिश्चित कराना सहकारिता विभाग की जिम्मेवारी है।

- किसानों से अधिकाधिक धान क्रय करने के उद्देश्य से किसान निबंधन की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए दस्तावेजों की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति हेतु 3500 करोड़ रूपये राजकीय गारंटी के रूप में बिहार राज्य सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराया गया है। अधिप्राप्ति कार्य में समितियों की अभिरूचि बनाये रखने के लिए आपूर्ति किये गये सी0एम0आर0 पर 10 रूपये प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। किसानों को गनीबैग मद में 25 रूपये प्रति क्विंटल का भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ किया जा रहा है। धान क्रय मूल्य का भुगतान 48 घंटों के अंदर सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जा रहा हैं। राज्य में वित्तीय वर्ष 2020–21 में अभी तक 6179 समितियों द्वारा 426189 किसानों से 30.98 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की गयी है और इस मद में 5177.09 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया गया है।

कृषि रोड मैप के अंतर्गत वर्ष 2020–21 के अंतर्गत 77 गोदामों को निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 641 गोदाम निर्माणाधीन है। सभी गोदामों के निर्माण पूर्ण होने के बाद 1.83 लाख मैट्रीक टन भंडारण क्षमता में वृद्धि संभव है। खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन हेतु चावल मिल की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में अबतक 12 चावल मिल स्थापित हो चुके है और 53 चावल मिलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही 77 चावल मिलों के साथ 77 ड्रायर की भी स्थापना की गयी है।

राज्य में फल एवं सब्जी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। भंडारण की सुविधा नहीं रहने के कारण ये सड़ने लगते हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण तथा उचित मूल्य पर सब्जी आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा "बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना'' लागू की गयी है। इसके तहत पांच जिलों – पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर एंव बेगुसराय में अबतक 96 सब्जी उत्पादक समितियाँ निबंधित हो चुकी है। अगले चरण में तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि0, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी का गठन किया गया है। इसमें 76 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक

समितियों का निबंधन हो चुका है। इस योजना का ब्रांड नाम "तरकारी" है। वर्ष 2020–21 में अबतक दोनों संघों द्वारा 25.42 करोड़ रूपये सब्जी का व्यवसाय किया गया है।

- बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत खरीफ 2020–21 मौसम हेतु 39.29 लाख तथा रब्बी 2020–21 मौसम के लिए अबतक 5.99 लाख किसानों द्वारा निबंधन कराया गया है।

ग्रामीण परिवार का कम से कम एक व्यक्ति पैक्स का सदस्य हो इसके लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ की गयी है। ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से 4.59 लाख नये सदस्य बनाये गये है।

अल्पकालीन सहकारी ऋण (के0सी0सी0) के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में खरीफ मौसम हेतु 32933 किसानों को 92.88 करोड़ रूपये ऋण के रूप में वितरित किये गये एवं रब्बी मौसम हेतु 4051 कृषकों को 9.45 करोड़ रूपये (नवम्बर,2020 तक) ऋण के रूप में वितरित किये गये।

- राज्य के सभी 8463 पैक्सों के कम्प्युटरीकरण का काम एन0आई0सी0, पटना के सहयोग से किया जा रहा है।

- समेकित सहकारी विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से वर्तमान में 6 जिलों– मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगुसराय, दरभंगा, पूर्णिया और बेतिया में पैक्सों और व्यापार मंडलों में विभिन्न क्षमता के 1122 गोदामों के निर्माण के विरूद्ध 612 गोदामों का निर्माण हो चुका है। 171 समितियों में गोदाम निर्माणाधीन है। इन समितियों द्वारा वर्ष 2020–21 में 31.08 करोड़ रूपये का व्यवसाय किया गया है। राज्य के अन्य 16 जिलों को इस योजना से आच्छादित किया जाना है।

- विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना के तहत पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित किया जा रहा है जहाँ लघु एवं सीमांत कृषकों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे।

- सभी जिला मुख्यालय में सहकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में 56.33 करोड़ की लागत से 22 जिलों के सहकार भवन के निर्माण का कार्य, भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में सहकारिता विभाग का स्कीम मद में 1325.85 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 208.25 करोड़ रूपये कुल 1534.09 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान का प्रस्ताव है।

लघु जल संसाधन विभाग

राज्य में लघु एवं सीमांत कृषकों की बहुलता है इन्हें सिंचाई हेतु लघु सिंचाई योजनाओं का काफी महत्व होता है। इसके अंतर्गत बड़ी–बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लाभ से वंचित छोटे किसान तालाब छोटी–छोटी नदियों, आहर, नालों चैकडैम ट्यूब वेल आदि से अपने खेतों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सरकार लघु सिंचाई की योजना पर विशेष ध्यान देती है। हर खेत को पानी पहुँचाने में लघु सिंचाई तकनीक का उपयोग काफी कारगर है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएँ चलायी जा रही है और कुछ नये स्कीम को वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रारंभ किया जायेगा।

- लघु जल संसाधन विभाग द्वारा '**जल–जीवन–हरियाली अभियान**' के अंतर्गत 5 एकड़ से बड़े रकवा वाले तालाब, छोटी–छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल ग्रहण क्षेत्रों में चेकडैम बनाकर जल संचयन एवं सिंचाई उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में अबतक 1095 योजनाओं का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इन योजनाओं से 90830 हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता तथा 591.17 लाख घन मी0 जल संचयन क्षमता सृजित हुई है। इसके अतिरिक्त 564 योजनाओं का कार्य प्रगति में है।

- भूगर्भ जल योजनाओं में 659 बंद राजकीय नलकूपों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में चालू कराया गया है। 4000 राजकीय नलकूपों पर मोबाईल पम्प कन्ट्रोलर लगाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था से मोबाईल फोन के माध्यम से ही नलकूप चालू किये जा सकेगें।

- भूगर्भ जल अनुश्रवण के लिए पूर्व से निर्मित 562 टेलिमेटरी सिस्टम के साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 600 बोर वेल में ऑटोमेटीक ग्राउन्ड वाटर लेवल रिकॉरडर अधिष्ठापित करने की कार्रवाई की जा रही है। इस सिस्टम से राज्य के सभी प्रखंडों में भूगर्भ जल स्तर की सतत् जानकारी प्राप्त होगी।

- आत्मनिर्भर बिहार का 7 निश्चय–2 के अंतर्गत **'हर खेत तक सिंचाई का पानी'** उपलब्ध कराने के लिए असिंचित क्षेत्रों के लिए तकनीकी सर्वेक्षण संयुक्त रूप से जल संसाधन विभाग, विद्युत विभाग तथा कृषि विभाग के साथ किया जा रहा है। असिंचित क्षेत्रों मे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं का चयन कर उनका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2021–22 में आरंभ करने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में लघु जल संसाधन विभाग का स्कीम मद में 810.00 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 199.91 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 1009.91 करोड़ रूपये है।

जल संसाधन विभाग

राज्य में एक तरफ पानी की प्रचूरता के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है तो दूसरी तरफ सिंचाई हेतु पानी की कमी हो जाती है। इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। इससे किसानों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है और उनकी आय में वृद्धि हो रही है। राज्य में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए कई नदियों पर बांध का निर्माण किया गया है और इसके लाभकारी परिणाम प्राप्त हुए हैं। लेकिन अभी भी संपूर्ण कृषि क्षेत्र को सिंचाई से आच्छादित नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या अभी भी बनी हुई है। इसलिए सिंचाई की व्यवस्था और बाढ़ नियंत्रण के लिए विभाग के द्वारा वर्तमान में भी कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में कई परियोजनाओं को प्रारंभ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- वर्ष 2021 में बाढ़ के पूर्व की जाने वाली तैयारियों के अंर्तगत 270 अदद् बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को रु० 1225.81 करोड़ की लागत से पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

- 116.36 करोड़ रुपए की लागत से सुपौल एवं मधुबनी जिलान्तर्गत पश्चिमी कोसी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, इस पर बिटुमिनस सड़कों का निर्माण एवं संरचनाओं का निर्माण/पुनर्स्थापन कार्य को तीव्र गति से कराया जा रहा है।

- 110.65 करोड़ रुपए की लागत से सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रातो नदी के तट पर बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत् नो मेंस लैंड से निशा रोड तक तटबंध का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसे मार्च, 2022 तक पूर्ण कराया जाएगा।

- भागलपुर जिलान्तर्गत गंगा नदी के बायें तट पर जहान्वी चौक से इस्माईलपुर तक तटबंध निर्माण कार्य रु० 42.42 करोड़ की लागत से कराया जाना है। इस योजना हेतु भू–अर्जन का कार्य त्वरित गति से कराया जा रहा है।

- महानन्दा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–II के अन्तर्गत कटिहार, पूर्णियाँ, किशनगंज एवं अररिया जिलान्तर्गत रुपए 792.00 करोड़ की लागत से तटबंध निर्माण का कार्य कराया जाना है। इस योजना हेतु भू–अर्जन का कार्य प्रगति में है।

- 48.43 करोड़ रुपए की लागत राशि से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत् भूतही बलान बायाँ तटबंध के कि0मी0 25.00 (रामनगर) से कि0मी0 31.61 घोघरडीहा–निर्मली लिंक रोड तक विस्तारीकरण कार्य को कार्यान्वित कराया जा रहा है।

- 325.12 करोड़ रूपए की लागत राशि से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत् कमला बलान बायाँ तटबंध एवं दायाँ तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण का कार्य फेज–1 (पीपराघाट से ठेंगहा पुल तक) कमला बलान बायाँ तटबंध के कि.मी. 27.10 से कि.मी. 66.30 एवं कमला बलान दायाँ तटबंध के कि.मी. 23.20 से कि.मी. 64.00 तक निर्माण कार्य कराया जाना है जिसे मई, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- 1178.50 करोड़ रूपए की लागत राशि से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत् टाल विकास योजना के अन्तर्गत 74 कि0मी0 की लम्बाई में तटबंध निर्माण, 53 कि0मी0 की लम्बाई में तटबंध निर्माण के साथ पक्कीकरण, पईन की उड़ाही एवं जीर्णोद्धार के साथ पुलिया का निर्माण, बराज, वीयर एवं चेक डैम निर्माण कार्य कराया जाना है जिसे मई, 2023 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है। इस योजना के कार्यान्वयन से टाल क्षेत्र में आने वाला अत्यधिक मात्रा में जलस्राव को नियंत्रित करते हुए नालन्दा जिला के कुछ भागों में सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

- 548.13 करोड़ रूपए की लागत राशि से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत् बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–III(b) एवं फेज–V(a) के प्रथम चरण के अन्तर्गत सिरनिया फुहिया तटबंध का 74.42 कि.मी. लम्बाई में सुदृढ़ीकरण एवं बेनीबाद से हायाघाट तक बायें तटबंध, बेनीबाद से सोरमारहाट तक दायें तटबंध एवं खिरोई जैकेटिंग तटबंध का कुल 52.33 कि.मी. की लम्बाई में तटबंध निर्माण कराने हेतु प्राप्त स्वीकृति के क्रम में वर्ष 2021–22 में कार्य प्रारंभ किया जाना है।

- **जल–जीवन–हरियाली अभियान** के तहत् राजगीर, गया, बोधगया तथा नवादा शहरों में पेय जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गंगा जल उद्वह योजना का कार्य द्रुत गति से प्रगति में है। इस योजना के तहत् कुल 148.77 कि०मी० पाईप लाईन बिछाया जाना है। 15 जनवरी, 2021 तक 43.98 कि०मी० पाईप बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। इसके प्रथम चरण को सितम्बर, 2021 तक पूरा करने के लक्ष्य से कार्य किया जा रहा है। इसकी कुल अनुमानित लागत रु० 2836 करोड़ के विरूद्ध अभी तक लगभग रु० 1300 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। शेष राशि का उपबंध वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट में किया गया है। प्रथम चरण के पूर्ण होने पर राजगीर, गया और बोधगया शहरों को जलापूर्ति हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा।

- गया के **विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गू नदी** में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 266 करोड़ रूपए की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना को अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- **हर खेत तक सिंचाई का पानी** सात निश्चय–2 के तहत् हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

- **बिहार राज्य की नदियों को जोड़ने की योजना** के तहत् कोसी बेसीन से महानन्दा बेसीन में जलांतरण की एक महत्वाकांक्षी योजना कोसी–मेची–लिंक योजना पर भारत सरकार का इनवेस्टमेंट क्लीयरेन्स दिनांक 08.12.2020 को प्राप्त हो गया है। इस योजना के कार्यान्वयन से अररिया, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिले के 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगा।

- मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर में कमला नदी पर निर्मित वीयर को बराज में रूपांतरित कार्य करने हेतु 405.66 करोड़ रूपए की योजना स्वीकृत है एवं इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना को मार्च, 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में जल संसाधन विभाग का स्कीम मद में 3007.50 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 1066.88 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 4074.38 करोड़ रूपये है।

पंचायती राज विभाग

राज्य के सर्वांगीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिक सुविधाओं का विकास पंचायत के माध्यम से तुरंत उपलब्ध होता है। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा समुचित निधि, दायित्व एवं मानव बल का प्रतिनिधायन सुनिश्चित किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा कई योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत ''आत्मनिर्भर बिहार'' के सात निश्चय–2 कार्यक्रम के तहत ''स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव'' निश्चय के अंतर्गत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाना प्रस्तावित है।

- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अन्तर्गत बिजली बिल के विद्युत विपत्र का भुगतान ससमय नहीं हो रहा है इसलिए बिजली बिल का बकाया बढ़ रहा है तथा बिजली कंपनियों को भी ससमय राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। पंचायतों की संख्या अधिक होने के कारण भी समस्या उत्पन्न हो रही है इसलिए उक्त विद्युत विपत्रों का भुगतान जिला स्तर पर केन्द्रीकृत रूप से जिला

पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु औसतन प्रति वर्ष 200.00 करोड़ रुपये मात्र की राशि का व्यय होना अनुमानित है।

- पंचायतों में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि से परिसंपति का निर्माण किया गया है। राशि के अभाव में पंचायतों द्वारा इनका अनुरक्षण एवं मरम्मती नहीं कराया जाता है। इसलिए ऐसे परिसंपतियों के वृहद मरम्मति के कार्यों हेतु औसतन 7.00 लाख रुपये प्रति पंचायत प्रति वर्ष की दर से व्यय होना प्रस्तावित है।

- मुख्यमंत्री ग्रामीण गली योजना के तहत नई बसावटों के सृजन होने, पुरानी परिसम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रख–रखाव एवं अवशेष नव निर्माण हेतु प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष 10 लाख रूपये मात्र की राशि कर्णांकित किया जाना प्रस्तावित है।

- सॉलिड एण्ड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से स्वच्छता एवं खुले में शौच से मुक्ति हेतु तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना क्रियान्वित की जायेगी।

- जिस प्रकार राज्य स्तर पर सचिवालय, जिला स्तर पर समाहरणालय और प्रखंड स्तर पर प्रखंड कार्यालय हैं, उसी समान ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के रूप में ग्राम पंचायतों का अपना भवन होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा अबतक स्वीकृत 3200 पंचायत सरकार भवन में से 1387 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 1813 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- ग्राम पंचायतों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुदान के रूप में बड़ी राशि प्राप्त होती है। राज्य सरकार द्वारा भी अपने राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों को अंतरित किया जाता है तथा राज्य की कई योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही कराया जाता है। इसलिए ग्राम पंचायतों के द्वारा व्यय की जाने वाली बड़ी राशि को देखते हुए ग्राम पंचायतों का सुदृढीकरण आवश्यक है। इसके लिए ग्राम पंचायत प्रशासन में सूचना प्रावैधिकी का उपयोग, पंचायत कर्मियों का क्षमतावर्द्धन आदि अतिआवश्यक है। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए राज्य स्तर पर ''राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र'' एवं जिला स्तर पर ''जिला पंचायत संसाधन केन्द्र'' स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। पूर्व से कार्यरत ''बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी'' को ''राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र'' के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में मानव बल की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक–एक कार्यपालक सहायक, प्रत्येक चार पंचायत पर एक लेखापाल एवं प्रत्येक चार पंचायत पर एक तकनीकी सहायक की संविदा आधारित नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से लगभग 7000 कार्यपालक सहायक, 1600 लेखापाल एवं 1400 तकनीकी सहायकों द्वारा योगदान कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्कीम मद में 1370.87 करोड रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 8174.06 लाख रूपये कुल 9544.93 करोड़ रूपये व्यय का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास विभाग

भारत की आत्मा गाँव में बसती है इसलिए गाँवों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। गाँवों के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन, शौचालय निर्माण, ग्रामीण आवास की सुविधा, पर्यावरण की शुद्धता आदि महत्वपूर्ण है। गाँवों में शहरों जैसी नागरिक सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीण जनसंख्या का पलायन शहरों की तरफ नहीं हो

इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक गाँव उन सभी नागरिक सुविधाओं से संपन्न हो जो शहरों में उपलब्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

- जल–जीवन–हरियाली बिहार को सुंदर, हरित, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से कारगर ढंग से निपटने, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, वन आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग एवं ऊर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितिकीय परिवेश के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए कार्य योजना तैयार कर जल–जीवन–हरियाली अभियान की शुरूआत की गई ।

- मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में वास भूमिहीन परिवारों को वास भूमि क्रय करने हेतु राज्य प्रायोजित योजना अंतर्गत प्रति लाभुक 60,000 (साठ हजार) रूपये की सहायता राशि से उपलब्ध करायी जाती है।

- राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत 1 जनवरी, 1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गुच्छ (Cluster) में निर्मित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं

अतिपिछड़ा वर्ग के परिवारों, जिनका आवास, वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण है तथा पूर्व से आवास योजना का लाभ प्राप्त रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की पात्रता नहीं रखते हैं, को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है ।

- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर प्रतीक्षा सूची से लाभुकों का आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त पूर्व के वित्तीय वर्षों के लंबित आवास की पूर्णता हेतु विशेष प्रयास किये जायेगें ।

- बिहार राज्य को 'खुले में शौच से मुक्त' कराने के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण 2020–2025 अंतर्गत 'खुले में शौच से मुक्ति' तथा सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन को स्थायी बनाये रखते हुए चरणवद्ध तरीके से राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन लक्षित किया गया है।

- सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में 255 पंचायतों का, वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 2667 ग्राम पंचायातों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जनवितरण प्रणाली की दुकान एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया। वर्ष 2020–21 में अबतक 3499 ग्राम पंचायतों में मनरेगा, 655 पंचायतों में प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नीर–निर्मल परियोजना के 109 योजनााओं का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है।

- राज्य के लक्षित 101 प्रखण्ड में से 70 प्रखंड में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं वर्ष 2021–22 में 31 प्रखंड में कार्य पूर्ण किया जायेगा।

- प्राथमिकता के आधार पर कुल 77 नये प्रखंड कार्यालय–सह–आवासीय भवन निर्माण, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास योजना में 42 प्रखंड में प्रखंड कार्यालय–सह–आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास योजना के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं वर्ष 2021–22 में शेष 35 प्रखंडों में कार्य पूर्ण कराया जाना है।

- ''श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन'' केन्द्र प्रायोजित योजना में राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत की राशि व्यय की जाती है। इस योजना के तहत देश के चयनित 300 रूर्बन क्लस्टर में से 11 क्लस्टर बिहार राज्य से चिन्हित किया गया है। रूर्बन क्लस्टर तैयार करते हुए उसे वास्तविक रूप से सुदृढ़

करने हेतु आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं, नागरिकों के सुविधाओं का विकास, बेरोजगारी उन्मूलन तथा निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है। सभी चयनित ग्यारह क्लस्टर की ''समेकित क्लस्टर कार्य योजना'' तैयार की जा चुकी है, जिसका अनुमोदन ग्राम सभा, संबंधित जिला की जिला स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की प्राधिकृत समिति द्वारा किया गया है। सभी क्लस्टर में अभिसरण के तहत कार्य किया जा रहा है तथा छः क्लस्टर यथा –कुचिला, सोनवर्षा, परबता पासरेन, करियन, खोखा एवं टोरी में सम्प्रति क्रिटीकल गैप फंड मद में कार्य प्रारंभ हो गया है जिसे वर्ष 2021–22 में पूरा किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्कीम मद में 16409.66 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में रूपये 426.01 करोड कुल 16835.67 करोड रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग

राज्य सरकार अपने संसाधनों के अन्तर्गत राज्य के नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए सतत् एवं निरन्तर प्रयत्नशील है। विगत वर्षों में शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न किये गये हैं तथा बहुआयामी विकास हेतु प्राथमिकताएँ भी निर्धारित की गई हैं।

राज्य में शहरीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के आलोक में 109 नये नगर पंचायतों एवं 8 नये नगर परिषदों के गठन, 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषद् में उत्क्रमित करने, 05 पुराने नगर परिषदों को नगर निगम में उत्क्रमित करने तथा 12 पुराने नगर निकायों का क्षेत्र विस्तारित करने की कार्रवाई की जा रही है। इन नगर निकायों के गठन उत्क्रमण एवं क्षेत्र विस्तार के फलस्वरूप राज्य में शहरी जनसंख्या में वृद्धि होगी तथा आम नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजनाएँ लागू की गई हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सात निश्चयों में से तीन निश्चय, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) शामिल हैं।

- राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आयोजन आदि हेतु बहुउद्देशीय नगर भवन के रूप में 96 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। शेष नगर निकायों में योजना के स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

- राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु 106 नगर निकायों में स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें से 65 नगर निकायों में शतप्रतिशत स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन कर दिया गया है, शेष में कार्य प्रगति पर है।

- भागलपुर, मोकामा, सिमरियाघाट, पहलेजाघाट एवं मुंगेर में अवस्थित विद्युत शवदाह गृहों के जीर्णोद्धार की योजना स्वीकृत की गई है। नगर परिषद्, सीतामढ़ी तथा नगर पंचायत, रिविलगंज में विद्युत शवदाह गृह निर्माण योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है।

- राज्य में कुल 38 बस स्टैंड निर्माण की योजना स्वीकृत है, जिसमें से 28 बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 04 बस स्टैंड निर्माण का कार्य प्रगति पर है, शेष 6 जिले में योजना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है।

जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत नगर निगम, दरभंगा के 09 तालाबों तथा मुजफ्फरपुर के 03 तालाबों के उड़ाहीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सबके लिए आवास (शहरी) Housing For All योजना के अन्तर्गत चार घटकों में शहरी क्षेत्र के आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। राज्य के सभी 142 नगर निकायों में 337685 घरों का निर्माण किये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें से 152562 आवासीय इकाईयों पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

"दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)'' योजना राज्य के सभी नगर निकायों में भी लागू की गयी है। इसके अधीन कौशल प्रशिक्षण घटक के अन्तर्गत शहरी गरीब युवक/युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2015–16 से अब तक 41035 युवक/युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि 2799 का प्रशिक्षण जारी है। अभी तक 24449 प्रशिक्षणार्थी का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण हो चुका है। शेष कार्य वर्ष 2021–22 में पूर्ण करना है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना के अधीन राज्य के 21 नगर निकायों (हाजीपुर, बक्सर, छपरा, जहानाबाद, बगहा, मोतिहारी, सिवान, औरंगाबाद, पूर्णिया, सासाराम, कटिहार, बेगूसराय, किशनगंज, बिहारशरीफ, आरा, दरभंगा, जमालपुर, सहरसा, बेतिया, डेहरी एवं मुंगेर) में आवासित सभी परिवारों को पेय जलापूर्ति हेतु कुल राशि रू0 2237.48 करोड़ लागत व्यय पर 36 जलापूर्ति योजना कार्यान्वित है। इससे 579704 घरों में पेयजलापूर्ति हेतु नल का कनेक्शन दिया जाएगा।

स्मार्ट सिटी योजना :– इस योजना के अन्तर्गत राज्य में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु

भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं बिहारशरीफ का प्रस्ताव स्वीकृत है। इसके तहत प्रत्येक शहर को पाँच वित्तीय वर्षों में कुल रू० 1000.00 करोड़ राशि आवंटित की जायेगी। इसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की भागीदारी 50:50 अनुपात में है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं बिहारशरीफ शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु Special Purpose Vehicle (SPV) का गठन कर लिया गया है। भागलपुर के लिए रू० 382.00 करोड़, मुजफ्फरपुर के लिए रू० 112.50 करोड़, पटना के लिए रू० 382.50 करोड़ एवं बिहारशरीफ के लिए रू० 110.00 करोड़ आवंटित की जा चुकी है। कार्य जारी है।

ADB से ऋण प्राप्त योजना के अंतर्गत भागलपुर फेज–I, भागलपुर फेज–II, गया फेज–I एवं गया फेज–II ADB संपोषित जलापूर्ति योजना स्वीकृत है। उक्त योजना क्रमशः रू० 493.00 करोड़, रू० 253.57 करोड़, रू० 376.21 करोड़ एवं रू० 64.91 करोड़ मात्र की लागत पर स्वीकृति दी गई है। **गया सिवरेज योजना की स्वीकृति रू० 370.67 करोड़ पर दी गई है।**

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत रू० 5328.61 करोड़ की कुल 30 सिवरेज योजनाएँ, रू० 19.20 करोड़ की 2 घाट निर्माण योजनाएँ एवं रू० 3.16 करोड़ की 2 Bioremediation योजना स्वीकृत है। पटना गंगा नदी तट विकास योजना के तहत रू० 336.73 करोड़ की 1 योजना स्वीकृत है। **नमामि गंगे अंतर्गत एस०टी०पी० एवं सिवेज नेटवर्क परियोजना** द्वारा अबतक सीवरेज नेटवर्क एवं STP की 15 योजनायें, Interception & Diversion and STP की 15 योजनायें, River Front Development की एक योजना एवं घाट सौन्दर्यीकरण की 2 योजनाएं, यानि कुल 33 योजनाओं (रू० 5684.36 करोड़) को स्वीकृत किया गया है।

पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य सर्वप्रथम स्वीकृत प्रथम चरण के दो कॉरिडोर में किया जाना है जिसकी कुल लंबाई 32.497 कि0मी0 होगी। प्रथम कॉरिडोर में पूर्वी–पश्चिमी मेट्रो कॉरिडोर (दानापुर से मीठापुर भाया बेली रोड एवं रेलवे स्टेशन) की कुल लम्बाई 17.933 km है। द्वितीय कॉरिडोर में उत्तरी–दक्षिणी मेट्रो कॉरिडोर (पटना रेलवे स्टेशन से नया अन्तर्राज्जीय बस अड्डा (न्यू आइ0एस0बी0टी0) भाया गांधी मैदान, पी0एम0सी0एच0 तथा राजेन्द्र नगर रेलवे स्टेशन) की कुल लंबाई 14.45 km है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के दोनों कॉरिडोर के निर्माण की लागत रू0 11165.96 करोड़ है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य सितम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए भावी कार्यक्रम निम्नवत है–

- बिहार के सभी शहरों में ''ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन'' की व्यवस्था की जाएगी।

- वृद्धजनों के लिए सभी शहरों में ''आश्रय स्थल'' बनाया जाएगा तथा इनके बेहतर प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था की जाएगी।

- राज्य के शहरों में रह रहे बेघर/भूमिहीन गरीब लोगों को बहुमंजिला भवन बनाकर आवास की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।

- सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित ''मोक्षधाम'' का निर्माण कराया जाएगा, जिससे लोगों को वहाँ पर दाह संस्कार हेतु जरूरी सुविधाएं मिल सके।

- सभी शहरों में ''स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम'' को विकसित किया जाएगा, जिससे वहाँ जलजमाव की कोई समस्या न हो।

- बिहार में छठ पूजा की विशेष महत्ता के आलोक में राज्य के सभी प्रमुख सार्वजनिक तालाबों एवं नदियों के घाटों पर सीढ़ीघाट तथा वस्त्र प्रक्षालन केन्द्र बनाए जाएंगे।

- सभी प्रमंडलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ''अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल'' का निर्माण कराया जाएगा।

- राज्य के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा विशिष्ट धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र, बस अड्डे, बाजार, निगम के कार्यालयों इत्यादि पर जन सुविधा केन्द्र (शौचालय, स्नानागार, पेयजल) का निर्माण कराया जाएगा।

- राज्य में कुछ स्थानों पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप की स्थापना की जाएगी।

- राज्य के बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या के समाधान हेतु कार्रवाई की जाएगी।

- पटना के अलावा बेगूसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा, हाजीपुर इत्यादि में रिवर फ्रंट परियोजनायें शुरू की जायेंगी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में नगर विकास एवं आवास विभाग का स्कीम मद में 3952.00 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 3815.13 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 7767.13 करोड़ रूपये है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

टिकाउ विकास के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु का संरक्षण एवं संवर्द्धन अनिवार्य है। राज्य सरकार विभिन्न उपायों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से वनों के संरक्षण एवं पर्यावरण की शुद्धता पर कार्य कर रही है। विभाग द्वारा इस हेतु पूर्व से जारी कार्यों के अतिरिक्त निम्नांकित योजनाओं का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रारंभ किया जायेगा।

- जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत राज्य में हरित आवरण बढ़ाने हेतु मिशन मोड में वर्ष 2021 के बरसात के मौसम में पौधे लगाये जायेगें।

- कटिहार जिला के मनिहारी में गोगाबिल को राज्य का पहला सामुदायिक आरक्ष एवं संरक्षण आरक्ष घोषित किया गया है। स्थानीय सामुदायिक सहभागिता से यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षियों का संरक्षण तथा इसे बेहतरीन ईको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा।

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौता किया गया है जिसके तहत राज्य में होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का आँकड़ा संग्रहित कर न्यून कार्बन पद्धति से विकस की रणनीति बनायी जायेगी।

- वर्त्तमान में राज्य का एकमात्र चिड़ियाघर पटना में अवस्थित है। अब अररिया जिला के रानीगंज वृक्षवाटिका में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर वर्ष 2021 में प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है।

- पर्यटक स्थलों में पर्यटकीय सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। रोहतास जिले में तुतला भवानी मंदिर के निकट जलप्रपात, कैमूर जिले के करकटगढ़ में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास करने के साथ ही राजगीर में नेचर सफारी का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही दर्शकों के लिए खोल दिया जायेगा।

- भारत सरकार के आद्र भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत् वर्ष 2020 में बिहार राज्य आद्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य अंतर्गत 100 हेक्टेयर से बड़े 133 आद्र भूमियों का चरणबद्व तरीके से समेकित प्रबंधन हेतु योजना तैयार की जा रही है।

- वायु प्रदूषण के अनुश्रवण हेतु वर्त्तमान में 4 शहरों में कुल 11 वायु अनुश्रवण स्टेशन स्थापित किये गये है तथा वर्ष 2021–22 में राज्य के 23 प्रमुख शहरों में 24 वायु अनुश्रवण स्टेशन स्थापित करने की योजना है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का स्कीम मद में 534.61 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 203.14 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 737.75 करोड़ रूपये है।

उद्योग विभाग

माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक पाँच ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे संभव बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिकरण को गति देने के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की नीति अपनायी गयी है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है।

- राज्य में प्राकृतिक संसाधनों एवं युवा मानव संसाधन की प्रचुरता है। राज्य के त्वरित विकास एवं युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य में नये उद्योग स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग, स्वास्थ्य क्षेत्र उद्योग, गैर परम्परागत उर्जा उद्योग, प्लास्टिक एवं रबर उद्योग, तकनीकी शिक्षा एवं सूचना प्रावैधिकी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया है।

- औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु प्रमाणीकृत 140 स्टार्ट अप के विरूद्ध 88 स्टार्ट अप को सीड फंड के रूप में रू० 701.15 लाख विमुक्त कर दिया गया है।

- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत 5394 आवेदनों का चयन किया गया है। इनमें से 4425 को प्रशिक्षण के उपरांत प्रथम किश्त की राशि उपलब्ध करा दी गयी है। 3058 लाभुकों को द्वितीय किस्त तथा 1150 लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि दे दी गयी है।

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2020 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लघु खाद्य उद्योगों के लिए कलस्टर आधारित एप्रोच की घोषणा की गयी है। राज्य में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु कलस्टर स्थापित करना है जिसमें उद्योग कलस्टर विकास योजनान्तर्गत 76 सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना का कार्य किया जायेगा जिसमें 2258 श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। राज्य में अबतक 7 कलस्टरों–राईस मिल कलस्टर, लखीसराय, मेनमेहसी एवं बथना सीप बटन कलस्टर पूर्वी चंपारण, सिलाव खाजा कलस्टर नालंदा, कन्हैयागंज झूला कलस्टर नालंदा, काँसा पीतल कलस्टर, वैशाली एवं पश्चिमी चंपारण में सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु रू० 2125.28 लाख की विमुक्ति की गयी है।

- इसके अतिरिक्त टेक्स्टाईल एपैरल कलस्टर बिहटा, लेदर गुड्स कलस्टर मुजफ्फरपुर, मखाना कलस्टर सुपौल, सेनेटरी पैड कलस्टर लोदीपुर सबौर, एल०ई०डी०बल्ब एवं स्टील फर्निचर कलस्टर पटना सिटी के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति दी गयी है।

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों को भेजे गये आवेदनों में से 1161 आवेदन स्वीकृत किया गया है जिनमें 696 लाभुकों को रू० 23.20 करोड़ मार्जिन मनी अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

- हस्तकरघा बनुकरों एवं विद्युतकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। हस्तकरघा बुनकरों को रू० 10000/—कार्यशील पूंजी के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। विद्युतकरघा बुनकरों को प्रतियूनिट विद्युत खपत पर 3/— रूपया की सबसिडी बिहार पावर होल्डिग कंपनी को सीधे दी जा रही है।

- राज्य सरकार द्वारा तसर, मलवरी, अंडी रेशम विकास के कई कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जिससे इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है।

- खादी ग्रामोद्योग को बाजार की मांग के अनुरूप डिजाईन का खादी वस्त्र तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मदद दी जा रही है। डिजाईनों का सैम्पल तैयार कर खादी संस्था/समितियों को उपलब्ध कराया गया है। 4 खादी संस्था को कार्यशील पूंजी हस्तगत कराया गया है। वर्ष 2021—22 में 29 खादी संस्था/समितियों को कार्यशील पूंजी देने की योजना है।

- आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय—2 अंतर्गत महिला उद्यमिता विकास योजना लागू की गयी है जिसके संबंध में पूर्व में विस्तृत चर्चा किया गया है।

- रेशम केन्द्रों/भवनों के निर्माण/जीर्णोद्धार का कार्य वित्तीय वर्ष 2021—22 में प्रस्तावित है।

- विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के तहत कॉमन एफल्यून्ट ट्रीटमेन्ट प्लाट निर्माण एवं संचालन कार्यालय भवन, वाटर सप्लाई, हरित पट्टी, विभिन्न प्रकार के माइक्रो यूनिट के लिए कलस्टर विकास के तहत फलैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स आदि का निर्माण किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2021—22 में उद्योग विभाग का स्कीम मद में 1190.00 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 95.17 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 1285.17 करोड़ रूपये है जो गत वर्ष से 40.33 प्रतिशत अधिक है।

गन्ना उद्योग विभाग

गन्ना एक महत्वपूर्ण कृषि कैश उत्पाद है जिससे गन्ना किसानों को नगद रूप में आय में वृद्धि होती है। गन्ना आधिारित उद्योग–चीनी मिलों से रोजगार सृजन होता है इसलिए गन्ना और चीनी मिल एक–दूसरे के पूरक हैं। राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के कल्याणार्थ कई योजनाएं चलाई जा रही है।

- सरकार के प्रयास से विभिन्न चीनी मिलों द्वारा चालू पेराई सत्र 2020–21 में मिल द्वार पर गन्ना के क्रय मूल्य दर को बढ़ाने पर सहमति दी गई है। इसके अनुसार सामान्य प्रजाति के गन्ने का 290.00 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 295 रूपये प्रति क्विंटल, उत्तम प्रजाति के लिए रूपये 310.00 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 315.00 प्रति क्विंटल तथा निम्न कोटि प्रजाति के लिए 265.00 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर रूपये 272.00 प्रति क्विंटल दर निर्धारित किया गया है। बाह्य क्रय केन्द्रों पर क्रय किये जाने वाले सभी कोटि के प्रभेदों पर उपयुक्त मूल्य से 20 रूपये प्रति क्विंटल कम दर निर्धारित किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रोत्साहन पैकेज 2014 के अन्तर्गत चीनी मिलों के क्षमता विस्तार/डिस्टीलरी स्थापना/रिकवरी पर विशेष अनुदान/जी॰एस॰टी॰ अनुदान/जी॰एस॰टी॰ प्रतिपूर्ति रूप में 2400.00 लाख रूपये योजना की स्वीकृति हेतु कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

- एकरूपता के सिद्वान्त पर किसानों के गन्ने का सामयिक खपत सुनिश्चित करने तथा कृषकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से गन्ना उद्योग विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की भाँति चालू पेराई सत्र 2020–21 के लिए ईखापूर्ति सट्टा नीति की घोषणा की गई है तथा उसके अनुरूप मिलों द्वारा गन्ना कृषकों के गन्ने का क्रय किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत त्रिस्तरीय बीज (प्रजनक/आधार/प्रमाणित) उत्पादन कार्यक्रम/गन्ना किसानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल 2835.00 लाख रू० की लागत पर कार्यान्वित कराने का प्रस्ताव है। योजना की स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

- पेराई सत्र 2020–21 में चीनी मिल क्षेत्रान्तर्गत जी०पी०एस० सर्वे के आधार पर गन्ना का आच्छादन 2.45 लाख हे० हुआ है।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में केन्द्र योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का भी कार्यान्वयन कराया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में गन्ना उद्योग विभाग का स्कीम मद में 100.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 15.95 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 115.95 करोड़ रू० है।

समाज कल्याण विभाग

महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार संकल्पित है।

- पूरक पोषाहार योजना के अंतर्गत 1.15 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से छः साल से कम आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 24.48 लाख बच्चों को पका भोजन 29.14 लाख बच्चों को टेक होम राशन तथा 13.91 लाख गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन दिया गया है।

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 17.84 लाख गर्भवती/धातृ महिलाओं को 5000 रूपये का भुगतान तीन किस्तों में किया गया है।

- आंगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना के अंतर्गत तीन से छः वर्ष आयु के 28.97 लाख बच्चों को प्रति बच्चा 400 रूपये की दर से पोशाक के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है। इस पर कुल व्यय 15.87 करोड़ रूपये हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चियों का नामांकन स्कूल में कर दिया गया है।

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में 1.05 लाख परिवारों को 5000 रूपये की दर से भुगतान किया गया है।

- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अबतक 5.96 लाख लाभुकों को लाभांवित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अबतक 52 करोड़ रूपये व्यय किये गये है। परवरिश योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 12395 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

- जाति प्रथा के उन्मूलन तथा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह करने वाले 222 महिलाओं को 2020–21 में 2.22 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

- राज्य के 67.38 लाख वृद्धजन, विधवाओं, निःशक्तजनों एवं अन्य असहाय व्यक्तियों को 2020–21 में 2459.75 करोड़ रूपये समाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके खाते में भुगतान किया गया है।

- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 23.48 लाख वृद्धजनों को दिसम्बर 2020 तक 823 करोड़ रूपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में भुगतान किया गया है।

- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 4700, मुख्यमंत्री परिवार योजना के अंतर्गत 280 तथा कबीर अंतेष्टि योजना के अंतर्गत 14334 लाभुकों को भुगतान किया गया है। कुष्ठ रोगियों के जीविकोपार्जन एवं भिक्षावृति से दूर करने हेतु (बिहार शताब्दी कुष्ठ योजना) के अंतर्गत 12116 लाभुकों को 21.23 करोड़ रूपये का भुगतान वर्ष 2020–21 में किया गया है।

- मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना के तहत वृद्धजनों के पुर्नवास के लिए ओल्ड ऐज होम (सहारा) का क्रियान्वयन राज्य के 5 जिलों पटना, रोहतास, पूर्णिया, भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण में किया जा रहा है।

- राज्य सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के विवाह हेतु (मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान) योजना के अंतर्गत 2020–21 में 68 लाभुकों को प्रति लाभुक एक लाख रूपया की दर से बैंक में फिक्स डिपोजिट के रूप में जमा करा दिया गया है। दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं के लिए संचालित "बिहार समेकित समाजिक सुदृढ़िकरण परियोजना" के अंतर्गत राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में बुनियाद केन्द्र का निर्माण और संचालन की योजना प्रारंभ की गयी है। अबतक 89 बुनियाद केन्द्र भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है तथा 52 भवनों का निर्माण प्रक्रियाधीन हैं। राज्य के सभी 38 जिलों में भी बुनियाद केन्द्र का संचालन किया जा रहा है तथा बुनियाद संजीवनी सेवा द्वारा लाभुकों को सेवा प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अबतक 71 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है।

- आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय–2 के अंतर्गत राज्य के सभी शहरों में वृद्धजनों के लिए आश्रयस्थल का निर्माण कराया जायेगा तथा इसके बेहतर प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु विभाग के बजट में 90 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

- राज्य अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा विभिन्न प्रकार के कुल 74 गृह संचालित है जिसके माध्यम से अनाथ बेसहारा, परित्यक्त एवं बेघर बच्चों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है जिसमें विधि विवादित बच्चों के लिए पर्यवेक्षण गृह एवं विशेष गृह भी संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में समाज कल्याण विभाग का स्कीम मद में 8097.80 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 61.35 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 8159.15 करोड़ रूपये है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु विभाग के द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैः–

- शिक्षा के माध्यम से ही पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के गरीब छात्रों की उन्नति संभव है। शिक्षा के प्रति अभिरूचि पैदा करने तथा पठन–पाठन के संसाधन के लिए छात्रवृति, प्रोत्साहन राशि, छात्रावास आदि की सुविधा देना अनिवार्य है। इस हेतु मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना, छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना अंतर्गत रू0 26.098 करोड की लागत से लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया, सीवान एवं वैशाली कुल 6 जिला में छात्रावास निर्माण का कार्य चल रहा है।

- प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र शेष 4 जिलों में स्थापित की जानी है। यू0पी0एस0सी0 एवं बी0पी0एस0सी0 की परीक्षाओं के लिए कोचिंग क्लास की व्यवस्था इन केन्द्रों पर है।

- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावासों का आवासन 8 जिलों में 10 छात्रावासों (गोपालगंज में 2, बक्सर में 1, नवादा में 2, पूर्णियाँ में 1, अरवल में 1, सहरसा में 1, अररिया में 1 एवं नालंदा में 1) के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। स्वीकृति के पश्चात् इन जिलों में भी छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा।

- जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासः–अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रत्येक जिला में 100 आसन वाले ''जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण योजना'' के अंतर्गत 29 जिलों में छात्रावास है जहाँ लगभग 2000 छात्र/छात्राएँ नामांकित हैं। 2 जिलों में छात्रावास भवन निर्माणाधीन है तथा शेष 7 जिलों में भी भवन निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

- अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, 04 आवासीय विद्यालय यथा–समस्तीपुर, रोहतास, पूर्णियाँ एवं सारण में विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। समस्तीपुर एवं रोहतास में निर्माण कार्य प्रारंभ है। वर्तमान में भागलपुर एवं गया के लिए जमीन उपलब्ध हो गई है, जहाँ रू0 41.0318 करोड़ प्रति विद्यालय की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त आधारभूत संरचना के निर्माण की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का स्कीम मद में 1728.53 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 20.91 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 1749.44 करोड़ रू० है।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार के कल्याण कार्यक्रम उनके शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु संचालित किए जा रहे हैं।

- मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उतीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कुल 2479 अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है।

- दशरथ माँझी कौशल विकास योजना के अन्तर्गत महादलित परिवार के युवक एवं युवतियों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देने एवं प्रशिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध करायी जा रही है। साथ हीं नाईलेट बिहटा से कौशल प्रशिक्षण हेतु एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया है।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार पीड़ितों को सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। अबतक 4166 पीड़ित व्यक्तियों को लाभांवित किया गया है जिसमें से 568 लोगों को नियम के अनुसार पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु कुल ₹38.28 करोड़ बजट प्रावधानित है।

- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए 65 तथा अनु0 जनजाति छात्रों के लिए 20 आवासीय विद्यालय स्वीकृत हैं जिसमें क्रमशः 25040 अनु0 जाति एवं 7520 अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था है। आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को दैनिक आवश्यकता यथा पठन–पाठन सामग्री, भोजन, वस्त्र, दवा इत्यदि अनु0 जाति के लिए 4(चार) एवं अनु0 जनजाति के लिए 2(दो) 720 आवासन वाले आवासीय विद्यालयों के भवनों के निर्माण की प्रति विद्यालय ₹51.00 करोड़ की दर से स्वीकृति दी गयी है।

- वर्त्तमान में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्रों को पठन–पाठन की सुविधा के लिए राज्य में कुल 111 छात्रावास कार्यरत हैं। छात्रों की संख्या को देखत हुए अनु0 जाति के 19 छात्रावासों के पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- वर्तमान में अनु०जाति के लिए 7 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (यथा–पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण एवं आरा) में संचालित किया जा रहा हैं जिसमें लगभग 1680 अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। सहरसा, पूर्णिया एवं मुंगेर प्रमंडल में एक–एक नये प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु कुल ₹290.89 लाख बजट प्रावधानित है।

- अनु0जाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार के द्वारा योजनाओं के स्वीकृति के आलोक में कृषि उपकरण, सिंचाई के लिए डैम का जीर्णोद्धार, रेशम के उत्पादन, प्रशिक्षण–सह– उत्पादक प्रशिक्षण एवं आया उत्पादन कार्यक्रम आदि के लिए कुल ₹49.65 करोड़ की राशि की स्वीकृति विभिन्न विभागों को प्रदान की गयी है। वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु कुल 109.56 करोड रु0 बजट प्रावधानित है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग का स्कीम मद में 1479.51 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 323.77 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 1803.28 करोड़ रूपये है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

''सबका साथ सबका विकास'' के साथ सबका विश्वास की भावना के तहत राज्य सरकार द्वारा पूरी दृढ़ता एवं संकल्प के साथ साम्प्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाये रखने, अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी, शिक्षा तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, मदरसा आधुनिकीकरण, उर्दू भाषा के विकास, कब्रिस्तान की घेराबंदी तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को सक्षम बनाने जैसे कार्य किये गये।

- मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय चंदनपट्टी, लहेरियासराय, दरभंगा के शाखा परिसर का विस्तार, विकास, मूलभूत सुविधाओं एवं अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास आदि निर्माण के लिए 20.876 एकड़ भू–अर्जन की स्वीकृति के साथ 30.38 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है ।

- विभाग के अधीन कार्यरत बिहार राज्य उर्दू अकादमी, अंजुमन तरक्की–ए–उर्दू, बिहार, बिहार राज्य हज समिति, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग एवं बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन तीव्र गति से कराये जा रहे हैं यथा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय येाजना, बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, बिहार राज्य वक्फ विकास योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान/खाद्यान्न योजना,

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक छात्रावास योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना, राज्य कोचिंग योजना, मुस्लिम परित्यक्ता सहायता येाजना, केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम।

वर्ष 2021–22 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का स्कीम मद में 525.00 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 37.63 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 562.63 करोड़ रूपये है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अध्यक्ष महोदय, राज्य में जमीन संबंधी विवादों के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए भूमि संबंधी कार्य में सुधार की कई योजनाएं चालू की गयी है जिसमें सूचना संचार प्रावैधिकी का उपयोग किया गया है। इससे आम आदमी को घर बैठे भूमि संबंधी सेवाएँ प्राप्त हो रही है। जैसे, भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, भू–लगान भुगतान आदि सेवाएँ ऑनलाइन दी जा रही है। राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य प्राथमिकता के आधार पर संपादित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण करते हुए इन्हें कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा। राजस्व मानचित्रों का डिजिटाइजेशन भी किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से तैयार इन अभिलेखों का डाटा संधारण हेतु अंचल स्तर पर स्थापित डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण करने की महती योजना है।

- जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक/सरकारी जल निकायों को अतिक्रण मुक्त कराया जा रहा है।

- पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वासहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध करायी जा रही है।

- इस वित्तीय वर्ष में दाखिल खारिज, बिहार विशेष सर्वेक्षण तथा बंदोबस्ती का कार्य अभियान चला कर किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्कीम मद में रू0 397.00 करोड तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में रू0 864.73 करोड कुल रू0 1261.73 करोड के व्यय का प्रावधान किया गया है।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। शराबबंदी से सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। राज्य में बहुत से लोग नशा से दूर होकर समाज और परिवार के साथ समय बिता रहे हैं।

उनके द्वारा उपार्जित आय से परिवार सुख–शांति से जीवन यापन कर रहा है इसलिए शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। संपति एवं दस्तावेजों के निबंधन की प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है जिससे निबंधन कार्यों में गति एवं पारदर्शिता आयी है। इससे राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष–2019–20 में विभाग का वार्षिक लक्ष्य रू. 4700.00 करोड़ के विरूद्ध रू. 4660.98 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहित किया गया है, जो कि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य का लगभग 99 प्रतिशत है। चालू वित्तीय वर्ष–2020–21 में विभाग द्वारा माह दिसम्बर, 2020 तक के लिये निर्धारित लक्ष्य रू0 3320 करोड़ रूपये के विरूद्ध दस्तावेजों के निबंधन से रू0 2483.37 करोड़ राजस्व संग्रहित हुआ है, जो अबतक के निर्धारित लक्ष्य का 74.80 प्रतिशत है।

पैतृक/पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारा विलेखों के निबंधन पर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की देयता कम करते हुए स्टाम्प ड्यूटी रू. 50/– एवं निबंधन शुल्क रू. 50/– निर्धारित किया गया है।

आम नागरिकों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का अंग्रेजी, हिन्दी एवं उर्दू भाषा में मॉडल डीड तैयार किया गया है। आम नागरिक सीधे विभाग के वेबसाईट www.registration.bih.nic.in पर जाकर सभी प्रकार के दस्तावेजों के मॉडल डीड की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं तथा बिना किसी के मदद के स्वयं अपना दस्तावेज तैयार कर सकते हैं।

माननीय उच्च न्यायालय सहित राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में ई–कोर्ट फीस प्रणाली के अंतर्गत न्यायिक मुद्रांक एवं निबंधन कार्यालयों में ई–स्टाम्पिंग प्रणाली के माध्यम से गैर न्यायिक मुद्रांक तथा निबंधन शुल्क की प्राप्ति की जा रही है।

लोकहित में राज्य सरकार द्वारा बेगूसराय जिलान्तर्गत, मंझौल अनुमंडल में नया अवर निबंधन कार्यालय, मंझौल खोले जाने की स्वीकृति दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का स्कीम मद में 2.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 278.23 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 280.23 करोड़ रू० है।

वाणिज्य कर विभाग

राज्य के लिए राजस्व के अधिकांश भाग की प्राप्ति वाणिज्य कर विभाग से होती है। इस विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2019–2020 में रू० 26166.00 करोड़ राजस्व का संग्रह किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए रू0 30,550.00 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया

है, जिसकी प्राप्ति के लिए विभाग सतत् प्रयत्नशील है। राजस्व संग्रहण में वृद्धि एवं करदाताओं की सुविधा के लिए विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं।

विभाग द्वारा वैधानिक मामलों की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से प्रारंभ कर दिया गया है। करदाताओं से फेसलेस सम्पर्क को बढ़ावा देने हेतु सूचनाओं का निर्गमन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा रहा है।

जीएसटी के पूर्व के अधिनियमों के बकाये के समाधान हेतु बिहार कराधान समाधान अधिनियम, 2019 लागू किया गया। जिसके अन्तर्गत कुल 27249 मामलों में 1127.55 करोड़ रूपया का समाधान किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विभाग द्वारा पुनः ''बिहार कराधान विवादों का समाधान योजना 2020'' लागू किया गया जो दिनांक 21.09.2020 से अगले छः माह अर्थात दिनांक 20.03.2021 तक प्रभावी है।

वीरचंद पटेल पथ के समीप ईस्ट गार्डिनर रोड पर ''कर भवन'' का शिलान्यास किया गया है एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा इसके निर्माण की प्रक्रिया का जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में वाणिज्य–कर विभाग का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 160.64 करोड़ रू० है।

परिवहन विभाग

अध्यक्ष महोदय, राज्य में हो रहे आर्थिक विकास, विधि व्यवस्था की स्थिति में निरंतर सुधार एवं सड़कों की दशा में गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप वाहनों की बिक्री एवं निबंधन में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में वार्षिक लक्ष्य 2000 करोड़ रूपये के विरूद्व 2067.04 करोड़ रूपये राजस्व संग्रहण किया गया था। जबकि वित्तीय वर्ष 2019–20 में 2500 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व 2713 करोड़ रूपये राजस्व संग्रहण किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 31.25 प्रतिशत अधिक है। राजस्व संग्रहण में वृद्धि, सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के अनुपालन तथा पर्यावरण की शुद्धता के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित कदम उठाये जायेंगे–

- सड़क सुरक्षा :–वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है। सड़क सुरक्षा के प्रावधानों के प्रति वाहन चालकों एवं आमजनों में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है एवं सड़क सुरक्षा संबंधी विषय पर भिन्न–भिन्न कार्यक्रम यथा नुक्कड़ नाटक, प्रचार–प्रसार, ड्राइंग/पेन्टिंग प्रतियोगिता, वाहनों का बीमा निपटारा इत्यादि का निष्पादन किया जाता है।

- करों में छूट (महिलाओं, निःशक्तजनों एवं बैट्री ऑपरेटेड वाहनों के करों में छूट)–तिपहिया वाहन,

टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, यदि महिला के नाम पर निबंधित है और उसका चालन स्वयं उस महिला या अन्य महिला जिसके पास व्यावसायिक अनुज्ञप्ति है, द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए वाहन कर में शत–प्रतिशत छूट दी गई है। निःशक्तजनों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों पर लगनेवाले कर को पूर्ण रुप से विलोपित कर दिया गया है। सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई–रिक्शा/ई–कार्ट के परिचालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैट्री चालित यान/इलेक्ट्रिक वाहन को कुल कर में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।

- वाहनों के ईंधनजनित उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वाहनों के प्रदूषण जाँच हेतु पेट्रोल पम्प एवं वाहन सर्विस सेन्टर पर भी प्रदूषण जाँच केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। वाहन सॉफ्टवेयर से इन्टीग्रेशन कर राज्य के सभी जिलों के प्रदूषण जाँच केन्द्रो से ऑनलाईन वाहन प्रदूषण जाँच प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं। राज्य में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सी0एन0जी0 ईंधन आधारित व्यावसायिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस हेतु पटना जिले में तत्काल चार सी0एन0जी0 ईंधन सेन्टर की स्थापना की गई है। साथ ही चलन्त वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र का भी प्रावधान किया गया है।

- बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019 के तहत पुराने डीजल/पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनो के स्थान पर CNG एवं बैट्री चालित तिपहिया वाहनो के परिचालन पर एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन/व्यवसायिक मोटर/मैक्सी कैब में CNG किट Retrofitment हेतु आर्थिक सहायता के रूप में इस योजना से आच्छादित लाभुकों को वाहन कोटिवार अनुदान राशि दी जायेगी।

- इसके अतिरिक्त CNG वाहन को प्रोत्साहन देने हेतु कुल ग्यारह कम्पनियों के विभिन्न CNG उत्पाद मॉडल के निबंधन स्वीकृति की अनुमति दी गई है। साथ ही प्रयोगशील वाहनों में CNG किट रेट्रोफीटमेंट हेतु कुल 13 Retrofitment कम्पनियों को अनुमति दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में परिवहन विभाग का स्कीम मद में 269.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 137.41 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 406.41 करोड़ रू० है।

खान एवं भूतत्व विभाग

खनन क्षेत्र से प्राप्त राजस्व के मामले में बिहार राज्य द्वारा तीव्र विकास किया गया है। वर्ष 2019–20 में वार्षिक लक्ष्य 1600.00 करोड़ के विरूद्ध 1572.07 करोड़ रूपये की राजस्व वसूली हुई। इस वित्तीय वर्ष में कुल निर्धारित लक्ष्य 1600.00 करोड़ रूपये के विरूद्ध माह दिसम्बर तक 807.48 करोड़ रूपये की वसूली हुई है। राजस्व वसूली की वृद्धि के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं

- बिहार बालू खनन नीति, 2019 एवं बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के आलोक में पंचांग वर्ष 2020 से अगले पाँच वर्षों के लिए घाटवार बालूघाटों की बंदोबस्ती प्रारंभ कर दी गई है। तत्काल कुल–24 जिलों के 373 बालूघाटों की बंदोबस्ती सम्पन्न हो चुकी है, तथा इनके पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। इससे आने वाले वर्षों में राजस्व में वृद्धि अपेक्षित है।

- बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के लघु खनिजों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त मामलों में ही खनन कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में खान एवं भू तत्व विभाग का स्कीम मद में 1.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 46.57 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 47.57 करोड़ रू० है।

शिक्षा विभाग

शिक्षा मानव जीवन में मौलिक परिवर्तन लाती है। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा बच्चों के नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। अब शिक्षा की गुणवता को शतप्रतिशत सुनिश्चित कराना है। शैक्षणिक संस्थानों तथा विद्यार्थियों को गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार कृत संकल्प है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा घोषित ''टिकाउ विकास के लक्ष्य''(Sustainable Development Goals) के अंतर्गत शत–प्रतिशत साक्षरता एवं माध्यमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना है। शिक्षा विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण सतत योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2021–22 में जारी रहेगी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में शिक्षा विभाग द्वारा निम्नांकित महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तावित है–

- उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इन्टर उत्तीर्ण अविवाहित बालिकाओं को रूपये 10,000/– (दस हजार) से बढ़ाकर रूपये 25,000/– (पच्चीस हजार) एवं स्नातक उत्तीर्ण महिलाओं को रूपये 25,000/–(पच्चीस हजार) की राशि को बढ़ाकर रूपये 50,000/–(पचास हजार) की गयी है।

- राज्य के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2021–22 में चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी।

- राज्य में छात्रों को सरकार की तरफ से पाठ्य पुस्तक एवं पोशाक उपलब्ध कराया जाता है लेकिन अक्सर पुस्तक वितरण में विलंब हो जाता है जिससे छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2021–22 से शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों को पाठ्य–पुस्तक, पोशाक इत्यादि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

- राज्य के विद्यालयों में पूर्णकालिक प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए सभी मध्य एवं माध्यमिक/उच्च विद्यालयों में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक/प्राचार्य की नियुक्ति हेतु कार्रवाई आरंभ की जायेगी।

- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गयी है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक दिशा में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इसके विभिन्न प्रावधानों एवं अनुशंसाओं पर पूर्णतः सहमत है। इसलिए इसको क्रमिक रूप से वित्तीय वर्ष 2021–22 से लागू किया जायेगा।

- अध्यक्ष महोदय आधुनिक युग इंर्फोमेशन टेक्नोलॉजी का है और इसकी शिक्षा स्कूल स्तर से ही प्रारंभ की जानी चाहिए। इसलिए डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 तथा उसके ऊपर के सभी छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा तथा उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021–22 से की जायेगी।

- आज के बच्चे कल के देश के सम्मानित नागरिक बनेंगे। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चहिए कि हमारे देश का शासन और व्यवस्था संविधान से किस प्रकार संचालित और नियंत्रित है। देश में संविधान सम्मत शासन की स्थापना संविधान के प्रति और देश के प्रति आदर और प्रेम का भाव बनाये रखने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान में प्रदत्त अधिकार, कर्तव्य तथा प्रावधानों की जानकारी हो और यह प्रारंभिक शिक्षा से ही प्रारंभ हो तो अच्छा है। इसलिए सभी छात्र–छात्राओं को भारतीय संविधान (धारा एवं अनुच्छेद) से संबंधित प्रावधान की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जायेगी।

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्यक्रम चलाया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आत्मनिर्भर बिहार के लिए सात निश्चत–2 में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया गया है।

- राज्य के अधिकांश शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचना का निर्माण कराया गया है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ आवश्यकता के अनुरूप आधारभूत साधन नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

प्रदान करने हेतु ऐसे सभी शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त आधारभूत संरचना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2021–22 में कराया जायेगा। बचे हुए सभी उच्च विद्यालय के भवन के निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2021–22 में आरंभ किया जाएगा।

- वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा के लिए 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (GER) की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

- ''भारत सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम–राष्ट्रीय शिक्षा मिशन'' के अन्तर्गत साक्षर भारत अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 से ''शिक्षक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास के लिए सहायता कार्यक्रम'' प्रारंभ किया गया है। इसी के तहत साक्षर भारत योजना चलायी जाएगी। इसके अन्तर्गत केन्द्रांश और राज्यांश मद में कुल 60.13 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

- विदेश में अध्ययन के लिए इच्छुक छात्र/छात्राओं के लिए डिजिटल कॉउन्सिलिंग की प्रणाली विकसित की जायेगी।

- भारत सरकार 2021–22 के बजट में **राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन** प्रारंभ कर रही है। इससे शासन एवं नीति से संबंधित सभी ज्ञान को भारत के प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य सरकार इस मिशन से जुड़ेगी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में शिक्षा विभाग का स्कीम मद में 21939.03 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 16096.90 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 38035.93 करोड़ रूपये है।

स्वास्थ्य विभाग

राष्ट्रीय विकास में श्रम एवं कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और स्वस्थ समाज ही कर्म प्रधान होता है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम/योजनाएँ संचालित की जा रही है एवं राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। आमजनों के लिए स्वास्थ्य सेवा को और अधिक सुदृढ़ बनाने एवं विकसित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, फलतः सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के प्रति आमजन का रूझान बढ़ा है, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है।

राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निम्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा :–

- पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को तीन फेज में विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने की योजना के लिए रु0 5540.07 करोड़ की लागत पर स्वीकृति दी गई है। किडनी प्रत्यारोपण ईकाई की आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त 100 बेड के इमरजेन्सी इकाई एवं 12 बेड के आई0सी0यू0 भवन की व्यवस्था की गयी है।

- इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए बेडों की संख्या 145 से बढ़ाकर 250 करने एवं तदनुकूल विभिन्न स्तर पर कुल 383 पद सृजित किए गए हैं। इसके नवनिर्मित भवन को क्रियाशील करने हेतु मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, मेडिकल उपकरण, मेडिकल एवं नन–मेडिकल फर्निचर के व्यय हेतु रुपये 74.56 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।

- श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई के सहयोग से कैंसर अस्पताल के निर्माण हेतु 15 एकड़ भूमि हस्तान्तरित की गयी है।

- लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना को विस्तारित करते हुए इस अस्पताल को 400 बेड क्षमता वाले अतिविशिष्ट अस्पताल के रूप में 215.00 करोड़ रुपये की लागत से भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए विभिन्न कोटि के कर्मियों की नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। 1539 फर्मासिस्टों, 163 ई०सी०जी० टेक्निशियन एवं 1096 ओ०टी० असिस्टेंट की नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जा चुका है। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेजों के लिए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक नये पदों का सृजन किया गया है।

- राज्य में चिकित्सा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु बिहार यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ साईंसेज की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

- राज्य में कुल 10 जिलों–वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, सीवान, बक्सर, पूर्णियाँ, सारण एवं समस्तीपुर में नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

- केन्द्र सरकार के सहयोग से 9 जिला अस्पतालों यथा– आरा, अररिया, वैशाली, औरंगाबाद, बांका,

पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी एवं सहरसा में लगभग **172.95 करोड़** रूपये की लागत से मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

- पटना सिटी नवाब मंजिल में एक 50–शय्यायुक्त उत्क्रमित आयुष अस्पताल की परियोजना 9 करोड रुपये की लागत पर स्वीकृत की गयी है।

- राष्ट्रीय डायलेसिस कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के 17 जिलों में डायलेसिस इकाई स्थापित कर संचालित किया जा रहा है। शेष 21 जिलों में भी डायलेसिस इकाई स्थापित कर संचालित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वास्थ्य विभाग का स्कीम मद में 6927.00 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 6337.87 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 13264.87 करोड़ रूपये है जो गत वर्ष के बजट उपबंध से 21.28 प्रतिशत अधिक है।

पथ निर्माण विभाग

राज्य सरकार सड़कों एवं पुलों के आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए सतत् कार्य कर रही है। राज्य के अंदर आवागमन में कम–से–कम समय लगे, इस उद्देश्य से सड़कों का सतत् उत्कृष्ट संधारण सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही यातायात घनत्व के आधार पर सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

- सात निश्चय–2 के "सुलभ संपर्कता" घटक के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पथों पर जाम प्रवण स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। इन स्थानों पर बाई पास पथों/एलिवेटेड पथों के निर्माण की योजना पर कार्य किया जा रहा है। सभी बाईपास पथ कम से कम 07 मीटर चौड़े होंगें। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक राज्य में 100 से अधिक स्थानों पर अगले 02 वर्षों में नये बाइपास पथों के निर्माण का कार्य किया जाएगा।

- राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथों के विकास हेतु भारत सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथों की योजनाओं के निर्माण हेतु त्वरित गति से भू–अर्जन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप राज्य में अनेक नये 4 लेन पथों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो पाया है, इसमें प्रमुख हैं– पटना–गया–डोभी पथ–127 कि0मी0, आरा–मोहनिया पथ–116 कि0मी0, नारायणपुर–पूर्णियां पथ–49 कि0मी0, रजौली–बख्तियारपुर–98 कि0मी0, पटना–बक्सर–92 कि0मी0, मोकामा–बख्तियारपुर–45 कि0मी0 सिमरिया–खगड़िया–60 कि0मी0।

- राज्य में गंगा नदी पर वर्ष 2021 में 2 नये पुल को पूर्ण करके आवागमन हेतु खोले जाने का लक्ष्य है, जिसमें से एक बक्सर से गाजीपुर के बीच अवस्थित है तथा दूसरा मुंगेर से खगड़िया के बीच में अवस्थित है। इस वर्ष महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नये 4 लेन पुल के कार्य में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी 2 लेन के जीर्णोद्धार कार्य को भी तेज गति प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच 6 लेन नया पुल, सुलतानगंज से अगुवानी घाट के बीच 4 लेन नये पुल तथा बख्तियारपुर–ताजपुर 4 लेन नये पुल के कार्य को अत्यंत तेज गति से निर्माण किया जा रहा है।

- इस वित्तीय वर्ष में जी0पी0ओ0 गोलम्बर से ऑर ब्लॉक फ्लाई ओवर पूर्ण कर चालू किया गया है। मीठापुर से करबिगहिया हिस्से को पूर्ण कर चालू किया जाएगा।

- इस वित्तीय वर्ष में बिहटा–सरमेरा एस0एच0–78,मसौढ़ी–पटना एस0एच0–01 का 4 लेन चौड़ीकरण एवं बिहिया–जगदीशपुर–पीरो–बिहटा पथ, घोंघा–पंजयारा पथ, अकबरपुर–अमरपुर पथ, उदाकिशनगंज–भटगांवा पथ, कादिरगंज–खैरा पथ का कार्य पूर्ण किया जाएगा।

- इस वित्तीय वर्ष में प्रमुख राज्य उच्च पथ, यथा–मानसी–हरदी–चौघड़ा में नये 4 पुलों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

- भारत सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन 552 कि0मी0 लंबे इंडो–नेपाल बोर्डर रोड परियोजना का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है।

- जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत राज्य की सड़कों के किनारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। राज्य में पथों के चौड़ीकरण के फलस्वरूप पेड़ों को कम से कम क्षति हो, इस नीति पर कार्य किया जा रहा है। कई पथों में पूर्व से अवस्थित पेड़ों को पुनर्स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में पथ निर्माण विभाग का स्कीम मद में 4410.00 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 1393.60 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 5803.60 करोड़ रूपये है।

भवन निर्माण विभाग

राज्य सरकार के कार्यालय, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक, एवं आर्थिक प्रक्षेत्र में बनाने वाले भवन से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए भवन निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न प्रक्षेत्रों उद्देश्यों एवं कार्यों के लिए भवन का निर्माण किया जाता है। विभाग द्वारा निम्नांकित निर्माण की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

- 633.00 करोड़ रूपये की लागत से राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम–सह–खेल अकादमी।
- 145.00 करोड़ रूपये की लागत से बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र।
- रूपये 301.400 करोड़ की लागत से वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय।
- रूपये 397.00 करोड़ की लागत से पटना में ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सांईस सिटी।
- रूपये 41.191 करोड़ की लागत से बेतिया में एवं रूपये 41.223 करोड़ की लागत से मोतिहारी में 2000 क्षमता का प्रेक्षागृह।
- रूपये 164.00 करोड़ की लागत से दरभंगा में तारामंडल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- रूपये 32.98 करोड़ की लागत से सिंचाई भवन, रूपये 61.62 करोड़ की लागत से पटना स्थित विश्वेश्वरैया भवन एवं रूपये 61.46 करोड़ की लागत से विकास भवन का आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है।
- रूपये 84.49 करोड़ की लागत से पटना में बापू टावर निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- 20 जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 5 अन्य जिलों में कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है। राजकीय पोलिटेक्निक भवन निर्माण का कार्य 4 जिलों में प्रगति पर है तथा 3 अन्य जिलों में कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।
- सात निश्चय योजना के तहत् विभिन्न जिलों में महिला एवं पुरूष आई.टी.आई. का निर्माण प्रगति पर है। प्रत्येक का औसत लागत लगभग रूपये 18.00 करोड़ है।
- रूपये 105.00 करोड़ की लागत से मुंगेर में वानिकी कॉलेज का निर्माण किया जाना है।
- रूपये 164.31 करोड़ की लागत से पटना के फुलवारीशरीफ में परिवहन विभाग का वर्कशाप एवं अन्य भवन का निर्माण कार्य तथा रूपये 250.00 करोड़ की लागत से बिहटा में विकास प्रबंधन संस्थान का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।
- रूपये 83.40 करोड़ की लागत से पटना के शास्त्रीनगर में वरीय पदाधिकारियों के आवास।

- गर्दनीबाग आवासीय परिसर में रूपये 52.76 करोड़ की लागत से माननीय मंत्री आवासन, रूपये 443.62 करोड़ की लागत से पदाधिकारी आवासन, रूपये 120.43 करोड़ की लागत से तृतीय श्रेणी के कर्मियों हेतु आवासन एवं रूपये 249.90 करोड़ की लागत से चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों का आवासन की योजना का कार्य प्रगति में है।

- पटना में नये समाहरणालय भवन का निर्माण, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना, पटना संग्रहालय का उन्नयन कार्य, राज्य अतिथि गृह, बोधगया के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रारंभिक कार्रवाई प्रारंभ की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में भवन निर्माण विभाग का स्कीम मद में 4442.58 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 878.82 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 5321.41 करोड़ रूपये है।

ग्रामीण कार्य विभाग

मुख्यमंत्री ग्रामसंपर्क योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में रू० 2114.65 करोड़ व्यय करते हुए 2208. 13 कि० मी० पथ एवं 55 पुलों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2021–22 में 9000 कि०मी० पथ का निर्माण किया जायेगा।

- **ग्रामीण टोला निश्चय संपर्क योजना**– 4643 अनजुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में से 4531 वसावट टोलों को संपर्कता प्रदान करते हुए 3882 कि०मी० सड़क का निर्माण हो गया है। वर्ष 2020–21 में 208.92 करोड़ का व्यय कर 157.25 कि०मी० पथ का कार्य पूर्ण हो गया है, शेष पर कार्य वर्ष 2021–22 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना**–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–II में 2465.38 कि०मी० तथा योजना–III के अंतर्गत 6162.50 कि०मी० पथ निर्माण का लक्ष्य स्वीकृत किया गया है। पात्र पथों के चयन की प्रक्रिया जारी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1500 कि०मी० लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण** कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 6963 पथ (20889.095 कि०मी० लंबाई) के मरम्मति एवं अनुरक्षण की स्वीकृति दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 13000 कि०मी० लंबाई के ग्रामीण पथों के मरम्मति एवं अनुरक्षण का लक्ष्य रखा गया है।

सात निश्चय–2 अंतर्गत भी ग्रामीण बसावटों को प्रखंड स्थित सरकारी कार्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, राज्य पथ, नेशनल पथ आदि से जोड़ने की योजना है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में ग्रामीण कार्य विभाग का स्कीम मद में 7313.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 2111.13 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 9424.13 करोड़ रू० है।

योजना एवं विकास विभाग

विभाग द्वारा निम्नांकित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है जो 2021–22 में भी जारी रहेंगे।

- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रारम्भ (02 अक्टूबर, 2016) से अब तक कुल 5,96,983 आवेदन पत्र जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर प्राप्त हुए तथा जांचोपरांत योग्य पाए गए कुल 4,93,046 आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। दिनांक 31.12.2020 तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत कुल 4,75,656 आवेदकों के बैंक खाता में स्वयं सहायता भत्ता की राशि 615.39 करोड़ रूपये अंतरित की गई है।

- नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जुलाई–अगस्त 2020 के डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का औरंगाबाद जिला Overall Ranking में पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है जिसके लिए इस जिले को 5 करोड़ रूपए की राशि परियोजनाओं के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने की घोषणा की गई है। औरंगाबाद जिला "मूलभूत संरचना" तथा "स्वास्थ्य एवं पोषण" प्रक्षेत्रों में भी क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहा है। इसी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में बांका जिला पूरे देश में छठे स्थान पर रहा है जिसके लिए 3 करोड़ रूपए की राशि परियोजनाओं हेतु प्रदान किये जाने की घोषणा नीति आयोग द्वारा की गई है।

- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 527.40 करोड रूपये व्यय कर 2439 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है, एवं 276 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

- अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित 04 जिलों यथा गया, औरंगाबाद, लखीसराय एवं जमुई के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 में भारत सरकार द्वारा प्रति जिला प्रथम किश्त की राशि 20.00 करोड़ रूपये अर्थात कुल 80.00 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त किया गया है, इस राशि से संबंधित जिलों में योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में योजना एवं विकास विभाग का स्कीम मद में 1940.63 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 257.77 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 2198.40 करोड़ रूपये है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

सर्वसुलभ स्वास्थ्य हासिल करने के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छता तथा स्वच्छ वातावरण अत्यावश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता एवं स्वच्छता के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय–1 में ''हर घर नल का जल'' काफी लोकप्रिय योजना रही है। इसे वित्तीय वर्ष 2021–22 में भी जारी रखा जायेगा। विभाग के महत्वपूर्ण योजनाएँ निम्नवत् है –

- राज्य सरकार के 7 निश्चय के तहत निर्धारित ''हर घर नल का जल'' के तहत विभाग द्वारा राज्य के 4095 ग्राम पंचायत के कुल 56,544 वार्डों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 52,142 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है तथा शेष वार्डों के आच्छादन का कार्य कराना है।

- विभाग के अन्तर्गत गैर गुणवत्ता प्रभावित कुल 26,272 वार्डों में से 25,559 वार्डों में कार्य पूर्ण तथा गुणवत्ता 30,272 वार्डों में से 26,583 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके तहत कुल 70.10 लाख घरों को आच्छादित किया गया है।

- विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना अंतर्गत प्रथम चरण में स्वीकृत 127 योजनाओं में से 115 योजनाएँ पूर्ण की गयी है एवं शेष योजनाओं का कार्य अंतिम चरण में है। द्वितीय चरण में स्वीकृत 558 जलापूर्ति योजनाओं में से 334 से जलापूर्ति की जा रही है तथा शेष का कार्य चल रहा है।

- ''हर घर नल का जल'' अन्तर्गत विभागीय लक्ष्य 87.69 लाख घरों में से 67.44 लाख घरों को गृह जल संयोजन द्वारा आच्छादित कर दिया गया है, शेष बचे घरों में गृह जल संयोजन का कार्य चल रहा है।

- ''जल–जीवन हरियाली'' अभियान के तहत वर्तमान वर्ष में कुल 8,387 कुँओं के जीर्णोद्धार के विरूद्ध 7,514 कुँओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष पर कार्य पूर्ण करना है।

- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 अन्तर्गत निर्धारित कार्य किये जाने का लक्ष्य है जिसकी चर्चा मैने पूर्व में की है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का स्कीम मद में 2492.10 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 478.16 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 2970.26 करोड़ रू० है।

श्रम संसाधन विभाग

राज्य में श्रमिकों के कल्याण के साथ श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अनावश्यक नियम एवं कानून से राज्य में उद्योग स्थापित करने

में उद्यमियों को अनावश्यक परेशानी होती है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इन्हें सरलीकृत करने की आवश्यकता है। राज्य में रोजगार के आधुनिक प्रक्षेत्रों के लिए योग्य प्रशिक्षित युवक/युवतियों को तैयार करने हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे राजकीय आई0टी0आई0 को विकसित कर आधुनिक बनाया जाय। विभाग द्वारा निम्नांकित महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं–

- राज्य में उद्योग–व्यवसाय की स्थापना एवं सुगम संचार हेतु अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु व्यापार की सुगमता के तहत विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत निबंधन के नवीकरण संबंधित प्रावधानों को हटाने हेतु संशोधन किया जा रहा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पारदर्शी तरीके से निरीक्षण तथा निबंधन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को ऑनलाईन किया जा रहा है।

- दुकान एवं प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मियों के हितरक्षा के लिए नया अधिनियम बनाया जा रहा है।

- केन्द्र सरकार द्वारा 29 श्रम अधिनियमों को निरस्त करते हुए चार श्रम संहिता–मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सेवा शर्त संहिता 2020 अधिसूचित किया गया है। इन संहिताओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा नियमावली तैयार की जा रही है।

- सात निश्चय–2 के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाना है। संस्थानों में 2258 अनुदेशकों की नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। शेष 85 संस्थानों को एन0सी0वी0टी0 से संबंधन कराया जा रहा है। स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप स्किल्ड युवक/युवतियों को तैयार करने हेतु आधुनिक व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य के 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को ''सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स'' बनाया जायेगा।

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 5321 छात्रों को लघु अवधि प्रशिक्षण दिया जाना है। इस हेतु राज्य में 42 प्रशिक्षण साझेदारों को नामित किया गया है।

- सात निश्चय में हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण, पक्की गली–नाली आदि के रख–रखाव हेतु लगभग 44000 प्लंबर तथा इलेक्ट्रीशियन को प्रशिक्षित किया जायेगा।

- राज्य में सरकारी योजनाओं की जानकारी, श्रमिक एवं रोजगार से संबंधित परामर्श देने आदि के लिए सभी जिलों में संपर्क केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2020–21 में 16 लाख निर्माण श्रमिकों को रू0 436.26 करोड़ का भुगतान किया गया है। बोर्ड द्वारा निबंधित निर्माण श्रमिकों को प्रधानमंत्री आरोग्य योजना से जोड़ा गया है। इसके तहत कुल 13,69,891 निबंधित निर्माण श्रमिकों को 5 लाख रूपया प्रति श्रमिक चिकित्सा व्यय का लाभ प्राप्त होगा।

- एक कॉमन रोजगार पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। इस पोर्टल के साथ राज्य के सभी नियोजनालयों को एकीकृत किया जायेगा। रोजगार क्षेत्र के सभी हितधारकों यथा रोजगार चाहनेवाले, नियोजक, स्थानीय सेवा प्रदाता आदि एक प्लेटफार्म पर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करेंगे। प्रशिक्षित नवयुवकों को राष्ट्रीय स्तर पर गुणवतापूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विशिष्ट प्लेसमेन्ट एजेन्सी के साथ समझौता किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में श्रम संसाधन विभाग का स्कीम मद में 766.17 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 199.47 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 965.64 करोड़ रूपये है।

उर्जा विभाग

माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की सरकार ने विद्युत क्षेत्र में प्रचलित पुराने मिथकों को तोड़ा है। संपूर्ण राज्य में विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है। विद्युत उत्पादन में भी वृद्धि हुई है जिससे राज्य के सभी क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता लगातार रह रही है। विजली की उपलब्धता न केवल मानव के जीवन स्तर को उँचा करती है अपितु यह सिंचाई, उद्योग आदि के लिए भी आवश्यक है। ताप विद्युत के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक उर्जा स्त्रोत यथा सोलर उर्जा, जल विद्युत उर्जा आदि की व्यवस्था की योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं पर कार्य किये जाने का प्रस्ताव है।

- केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के कटिहार जिले में 4300 करोड़ रूपये की लागत से 765 के0वी0 का सुपर ग्रिड एवं इसके संचरण लाईन के निर्माण की योजना है। इससे बांग्लादेश को भी 800 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी।

- देश में पहली बार स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन प्री–पेड प्रणाली के साथ बिहार में शुरू किया गया है। यह विद्युत उपभोक्ताओं को बिलिंग एवं कलेक्शन की समस्या से निजात दिलाने एवं विद्युत वितरण कम्पनियों के AT&C Loss में कमी लाने में सहायक होगा। अभी तक राज्य में कुल **1,06,773 स्मार्ट प्री–पेड मीटर** लगाये जा चुके हैं।

- **कजरा (लखीसराय) एवं पीरपैंती (भागलपुर)** में **सौर ऊर्जा परियोजना** की स्थापना की जानी है, जो राज्य में ग्रीन पावर के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

- **लगभग 1250 करोड़ रू0** के निवेश से **250 मेगावाट** ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लान्ट अधिष्ठापन का कार्य प्रारंभ किया गया है।

- **'जल–जीवन–हरियाली' अभियान** के तहत राज्य के सभी प्रखंडों के प्रखण्ड कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों, राजकीय आई0टी0आई0 एवं पंचायत सरकार भवनों पर कुल 10.0 MWP ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य कराया जा रहा है।

- **नीचे मछली उपर बिजली** योजना के तहत दरभंगा जिले में 2 MWP फ्लोटिंग सोलर पावर प्लान्ट का अधिष्ठापन एवं सुपौल जिला में 525 KWP फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है।

- **बिहार राज्य जल विद्युत निगम** द्वारा सुपौल जिला अन्तर्गत डागमारा में नये स्थल पर 130 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। इन्द्रपुरी जलाशय परियोजना से 190 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत परियोजना स्थापित किया जाना है जिसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा तैयार कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में ऊर्जा विभाग का स्कीम मद में 1500.00 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 7060.00 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 8560.00 करोड़ रू० है।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

समाज के विकास में विज्ञान एवं प्रावैधिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान के प्रति बच्चों में जागरूकता एवं अभिरूची पैदा की जाय ताकि मेधावी छात्र विज्ञान विषय के तरफ आकर्षित हो। छात्रों को पढ़ने हेतु गुणवत्तापूर्ण संस्थान हो। स्किल्ड युवा तैयार करने में पोलिटेक्निक की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए इन संस्थान को आधुनिक एवं गुणवतापूर्ण विषयों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने हेतु विकसित करना होगा। सात निश्चय–2 में विज्ञान एवं प्रावैधिकी को काफी महत्व दिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में निम्नांकित महत्वपूर्ण योजना कार्यों के क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है।

- राज्य एवं देश के सर्वांगीण विकास में मानव संसाधन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्कृष्ट कोटि के मानव संसाधन के विकास में विज्ञान एवं प्रावैधिकी की भूमिका स्वयंसिद्ध है। इसलिए सरकार के सात निश्चय–1 कार्यक्रम के अंतर्गत युवा उपमिशन **''अवसर बढे, आगे पढ़े''** के तहत राज्य के

सभी जिलों के लिए एक अभियंत्रण महाविद्यालय एवं एक पॉलीटेकनिक संस्थान स्थापित एवं संचालित है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में सुशासन के कार्यक्रम (2020–2025) के तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय– 2 के अंतर्गत उपमिशन, युवा शक्ति – बिहार की प्रगति कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसके संबंध में पूर्व में विस्तार से बताया गया है।

- संस्थान, शिक्षक तथा छात्रों के गुणवत्ता उन्नयन हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाओं को लागू किया जाएगा।

- गया में Regional Science Centre का निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा।

- डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना के भवन निर्माण कार्य हेतु Expert Committee की अनुशंसा पर प्रदर्शन की संख्या निर्धारित की गयी है एवं तद्नुसार Revised Estimate रू0 640 करोड़ किया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- अभियंत्रण एवं पॉलीटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों के विभिन्न कोटि के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

- अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलीटेकनिक संस्थानों में पढ़ रहे छात्र/छात्राओं को आवासन की कठिनाई ना हो, इस हेतु सभी संस्थानों को पूर्णतः आवासीय बनाये जाने हेतु रू0 856.14 करोड़ की लागत पर 30 छात्रावास छात्रों के लिए एवं 25 छात्रावास छात्राओं के लिए कुल 55 छात्रावासों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है।

- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलीटेकनिक संस्थान के अध्ययनरत मेघावी छात्र एवं छात्राओं में उत्कृष्टता को बढावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर एवं संस्थानवार ''मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार'' नीति का शुभारंभ किया गया है।

- राज्य के छात्र/छात्राओं के साथ आमजनों में खगोलीय विज्ञान में अभिरूचि जागृत करने के उद्देश्य से दरभंगा में तारामंडल–सह–विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का स्कीम मद में 169.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 253.50 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 422.50 करोड़ रू० है।

आपदा प्रबंधन विभाग

राज्य सरकार की नीति रही है कि राज्य के संसाधनों पर आपदा पीड़ितों का प्रथम अधिकार है। कोविड–19 महामारी या बाढ़/सूखा की समस्या हो, राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत का कार्य तुरंत प्रारंभ करती है। कोविड–19 महामारी में चलाये जा रहे राहत कार्यों की विस्तृत चर्चा की है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में सूचना प्रावैधिकी के उपयोग से राज्य में कोविड–19 से प्रभावित लोगों को उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है। राज्य के बाहर फंसे बिहारी श्रमिक भाइयों को जी0पी0एस0 एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से विपदा काल में घर बैठे सहायता प्रदान करने का महती कार्य किया गया जिसकी देश में चर्चा हुई तथा राज्य सरकार को भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। आपदा पीड़ित राज्यवासियों को सहायता का कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्व की भाँति यथावत जारी रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्कीम मद में 11.28 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 3310..80 करोड़ रूपये कुल 3322.08 करोड़ रूपये का बजट उपबंध किया गया है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

राज्य के गरीब, वंचित वर्ग, बेसहारा लोगों के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति चेन को बनाये रखने में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। कोरोना जैसे महामारी के दौरान लॉकडाउन में सभी लोगों के लिए न्यूनतम अनिवार्य खाद्य वस्तुओं की अविरल आपूर्ति ने इसके महत्व को प्रदर्शित भी किया है।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 85.12% एवं 74.53% जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध वर्तमान में 1.76 करोड़ पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी एवं अन्त्योदय परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान अब तक कुल 24,01,574 नया राशन कार्ड निर्गत किया गया है।

- अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक प्रत्येक लाभूक/राशन कार्डधारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 5 किलोग्राम चावल एवं 1 किलोग्राम दाल मुफ्त में दिया गया। इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नवंबर, 2020 तक बढ़ाया गया, जिसमें प्रत्येक परिवार प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न (3 किलोग्राम चावल एवं 2 किलोग्राम गेंहु) तथा 01 किलोग्राम साबुत चना मुफ्त में दिया गया।

  इसके अंतर्गत अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक प्रतिमाह 4332248.48 मेट्रीक टन चावल तथा 43001.297 मेट्रीक टन दाल का वितरण किया गया। जुलाई, 2020 से नवंबर, 2020 तक प्रतिमाह

435581.705 मेट्रीक टन खाद्यान्न एवं 77117 मेट्रीक टन साबुत चना मुफ्त उपलब्ध कराया गया है।

आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत मई, 2020 एवं जून, 2020 में कोविड–19 के कारण अन्य राज्यों से वापस आये हुए श्रमिक भाइयों को प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 5 किलोग्राम चावल तथा प्रति परिवार 01 किलोग्राम साबुत चना मुफ्त में दिया गया। इस योजना में 86449.70 मेट्रीक टन चावल तथा 3381.76 मेट्रीक टन साबुत चना वितरित किया गया।

कोरोना महामारी ने जनवितरण प्रणाली पूर्णतः कम्प्यूटराईजड एकीकृत प्रणाली एवं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की अनिवार्यता को रेखांकित किया है।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता, लाभुकों के शिकायतों के समाधान, बेहतर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए **बिहार खाद्य सुरक्षा शिकायत निवारण नियमावली–2017** के अन्तर्गत शिकायत निवारण हेतु आन्तरिक शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है।

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत FPS Automation योजनान्तर्गत राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में PoS मशीन का अधिष्ठापन किया गया है, आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत करते हुए NIC के Aadhar enable public distribution system के माध्यम से आवंटन, उठाव, निर्गमण, वितरण एवं भंडारण की एकीकृत प्रणाली कार्यरत है।**

- राज्य में ''एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना'' शुरू की गयी है जिसके अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन ले सकते हैं। प्रवासी मजदूरों को इस योजना का विशेष लाभ होगा क्योंकि वे अपने परिवार से दूर रहते हैं और जहाँ वह हैं वहीं अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं जबकि उनका परिवार मूल स्थान पर अपने कोटे का शेष राशन ले सकता है।

<u>अधिप्राप्ति</u> :– विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था 2020–21 अन्तर्गत राज्य के पंजीकृत किसानों से धान की अधिप्राप्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के आधार पर (धान (साधारण)–1868/– रूपये प्रति क्वींटल एवं धान (ग्रेड–ए)–1888/– रूपये प्रति क्विंटल) किये जाने हेतु कार्यरत पैक्स तथा व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति अभिकरण नियुक्त किया गया है जिसमें PFMS के माध्यम से किसानों को 48 घन्टे के अन्दर भुगतान किया जा रहा है। पंजीकृत किसानों की सूची से प्रति किसान अधिकत्तम 250 क्वींटल धान तथा जो पंजीकृत किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं करते हैं, उनसे फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त कर 100 क्वींटल धान क्रय करने

का निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन मौसम, 2020–21 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाये जाने हेतु कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था लागू की गयी है।

वर्ष 2021–22 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का स्कीम मद में 902.60 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 133.49 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 1036.09 करोड़ रू० है।

पर्यटन विभाग

बिहार की प्राकृतिक, पौराणिक, सांस्कृतिक संपदा न केवल बहुआयामी बल्कि समृद्ध वैश्विक विरासत है। यही कारण है कि हमेशा से बिहार न केवल देश का मार्गदर्शन करता रहा है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी विशिष्ट पहचान कायम करने में सफल रहा है। पर्यटन के अंतर्गत आवास परियोजनाओं, खाद्य उन्मुखी परियोजनाओं, मनोरंजन पार्को एवं जलक्रीड़ाओं तथा परिवहन इत्यादि के क्षेत्र में निवेश से रोजगार की वृहत सम्भावनाएँ हैं। राज्य सरकार पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए राज्य में इस वर्ष अबतक **देशी पर्यटकों की संख्या** 5511407 **एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या** 308067 रही है। पर्यटन के विकास एवं संरक्षण तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कार्य किये जा रहे हैं।

- पटना साहिब में आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों के बेहतर आवासन एवं सुख–सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मालसलामी पटना सिटी में कम्युनिटी हॉल निर्माण हेतु 8844.00 लाख रूपये की योजना स्वीकृत की गयी है।

- गया जिलान्तर्गत पर्यटकों के सुविधा हेतु उच्च कोटि के विश्रामालय का निर्माण हेतु 13615.00 लाख रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप से घोड़ा–कटोरा जाने के रास्ते में ई–रिक्शा के परिचालन के निमित शत्–प्रतिशत अनुदान पर 506 टॉगा चालकों को ई–रिक्शा उपलब्ध कराने हेतु 700.00 लाख रूपये की योजना स्वीकृत किया गया है।

- प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत भारत सरकार से स्वीकृति के उपरांत रू० 5238.95 लाख की लागत से जैन परिपथ के विकास की योजना, रूपये 5235.00 लाख की लागत से बिहार में कांवरिया परिपथ के विकास की योजना, रू० 5349.29 लाख रूपये की लागत से मंदार हिल एवं अंग प्रदेश परिपथ के विकास की योजना, रू० 4465.02 लाख रूपये की लागत पर बिहार में गाँधी परिपथ के विकास की योजना पर कार्य प्रारंभ हुआ है।

- सरकार के स्वदेश दर्शन योजना की रामायण परिपथ थीम के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार सहित नौ राज्यों में विकास के लिए 15 स्थानों की पहचान की गई है। इस परिपथ के अन्तर्गत बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा, मधुबनी जिला को शामिल किया गया है। इस योजना हेतु 6733.53 लाख रूपये का डीपीआर तैयार कर स्वीकृति हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।

- स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत राज्य में गया, जहानाबाद, नालन्दा एवं वैशाली जिला को शामिल करते हुए बौद्ध परिपथ के विकास हेतु 10141.48 लाख रूपये का परियोजना प्रस्तुतीकरण, तुरकौलिया, एम एस कॉलेज, पीपरा कोठी, गॉधी संग्रहालय, सत्याग्रह पार्क, मोती झील, मधुबन आश्रम आदि स्थलों को शामिल करते हुए बापू परिपथ के विकास हेतु 8747.21 लाख रूपये का परियोजना प्रस्तुतीकरण, सूफी परिपथ के विकास हेतु 9712.38 लाख रूपये का परियोजना प्रस्तुतीकरण तैयार कर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।

- उत्तर बिहार का विकास–स्वदेश दर्शन योजना अन्तर्गत उत्तर बिहार के विकास हेतु 9974.00 लाख रूपये का परियोजना प्रस्तुतीकरण तैयार कर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत सोनपुर मेला परिपथ, वैशाली हेरिटेज टूरिज्म एवं केसरिया स्तूप को शामिल किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही वर्ष 2021–22 में इसपर कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में पर्यटन विभाग का स्कीम मद में 251.40 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 26.12 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 277.52 करोड़ रू० है।

गृह विभाग

राज्य में विधि व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है। हमने कानून व्यवस्था पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। न्याय के साथ विकास, सुशासन, सामाजिक सोच एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, सुदृढ़ पुलिसिंग, त्वरित न्याय व्यवस्था आदि के कारण राज्य में अमन–चैन का माहौल बना है। विभाग द्वारा निम्नांकित महत्वपूर्ण कार्य/परियोजनाओं का क्रियान्वयन आगामी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

- वितीय वर्ष 2021–22 में बिहार सैन्य पुलिस–1 गोरखा वाहिनी हेतु 30 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं राज्य के 8 थाना/ओ0पी0 के भवन, निर्माण हेतु भू–अर्जन का प्रस्ताव है।

- वर्ष 2021–22 में राज्य के 95 थाना/ओ0पी0 के भवन निर्माण एवं पूर्व से स्वीकृत चालू योजनाओं को पूर्ण करने हेतु 40923.12 लाख रू0 कर्णांकित किया गया है।

- पुलिस प्रशासन के ढाँचागत सुदृढ़ीकरण मद में पुलिस बल के विभिन्न प्रकार के उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय, राज्य के जिला एवं अनुमंडलीय न्यायालयों एवं न्यायाधिकरण में सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु द्वितीय चरण की परियोजना की स्वीकृति एवं सेफ सिटी सर्विलेंस हेतु सी0सी0टी0भी0 कैमरा अधिष्ठापित करने की परियोजना स्वीकृत की गई है जिसके लिए वर्ष 2021–22 में 150.00 करोड़ रू0 कर्णांकित किया गया है।

- केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये राज्यों को सहायता योजना एवं विशेष आधारभूत संरचना योजना के लिए केन्द्रांश अन्तर्गत 40.00 करोड़ रू0 तथा राज्यांश अन्तर्गत 15.00 करोड़ रू0 कर्णांकित किया गया है।

- वर्ष 2021–22 बिहार अग्निशमन सेवा के भवन निर्माण से संबंधित स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण करने एवं नयी योजनाओं के लिये 30.00 करोड़ रू0 मात्र तथा बिहार अग्निशमन सेवा के उपकरणों के क्रय हेतु 50.00 करोड़ रू0 मात्र कर्णांकित किया गया है।

- वार्षिक स्कीम 2021–22 में औरंगाबाद मंडल कारा भवन के द्वितीय चरण, मंडल कारा अरवल, उपकारा पालीगंज के निर्माण हेतु स्वीकृत योजना एवं राज्य की काराओं में महिला कक्षपालों के लिए केन्द्रीय कारा में 50 क्षमता, मंडल कारा में 30 क्षमता एवं उप कारा में 20 क्षमता वाले बैरक के निर्माण एवं राज्य के काराओं में अतिरिक्त बंदी कक्ष का निर्माण कार्य हेतु 50.00 करोड़ रू0 कर्णाकित है।

- राज्य के 29 प्रक्षेत्रीय प्रोवेशन कार्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु 10.00 करोड़ रू0 राज्य के काराओं में एम्बुलेंस/वाहनों के क्रय हेतु 3.00 करोड़ रू0 मात्र कर्णांकित किया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा राज्य के मंदिरों की चहारदीवारी का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। वितीय वर्ष 2021–22 में मंदिर चहारदीवारी निर्माण निधि योजना के अन्तर्गत 25.00 करोड़ रू0 कर्णांकित किया गया है।

वर्ष 2021–22 में गृह विभाग का स्कीम मद में 989.99 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 12983.26 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 13973.25 करोड़ रूपये है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठकें आहुत करायी जाती हैं। राजभाषा हिन्दी और उर्दु के विकास एवं प्रचार–प्रसार के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। राज्य के अभिलेखागारों में अभिलेखों का संधारण भौतिक रूप में किया गया है। इससे इनके नष्ट होने की संभावना बनी रहती है

इसलिए इनको संरक्षित करने के लिए डिजिटाईज्ड फॉर्म में परिवर्तित किया जाना है। राज्य में हवाई यात्रा के क्षेत्र में काफी काम करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित हैः–

- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन गठित बिहार विकास मिशन द्वारा सरकार के सात निश्चय–1 एवं सात निश्चय–2 के कियान्वयन का अनुश्रवण एवं समीक्षा किया जाता है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य अभिलेखागार एवं क्षेत्रीय अभिलेखागारों में संरक्षित ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के अभिलेखों के डिजिटाईजेशन एवं संरक्षण का कार्य किया जाना है।

- राजभाषा हिन्दी को प्रतिष्ठित करने तथा उसे राज्य की जनता के बीच सहज, सुगम एवं लोकप्रिय बनाने के लिए राजभाषा निदेशालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन किया गया है। विभाग द्वारा हिन्दी की त्रैमासिक पत्रिका ''राजभाषा'' का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है।

- राज्य में वायुयान से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु बड़े पैमाने पर कार्य हो रहे हैं। इससे विगत 1–2 वर्षों में बिहार के विभिन्न शहरों की हवाई अड्डा निर्माण का कार्य चल रहा है। दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर घरेलू विमानों का परिचालन दिनांक– 08.11.2020 से आरंभ हो चुका है। यात्रियों के लिए आधारभूत सुविधा बहाल करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। पूर्णियाँ हवाई अड्डे पर सिविल इन्क्लेव एवं संयुक्त परिचालन के निमित्त पचास एकड़ भूमि के अधिग्रहण होने वाले अनुमानित मुआवजा राशि रूपये 2025.22 लाख जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को हस्तगत करा दिया गया है। बिहटा सैन्य हवाई अड्डे पर सिविल इन्क्लेव का निर्माण एवं संयुक्त परिचालन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कुल 108 एकड़ भूमि हस्तगत करा दिया गया है।

- राज्य के अन्तर्गत सुदूर क्षेत्रों में विमान के आवागमन हेतु राजकीय हवाई अड्डा का पक्कीकरण, विस्तार, चहारदिवारी का निर्माण भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य अवस्थित सभी जिलों के पुलिस लाईन में नाईट लैंडिंग फैसलिटी के साथ हैलीपैड का निर्माण, उड्डयन संस्थान के लिए नया सिमुसेटर का क्रय एवं 02 नया सेसना 172 आर ग्लास कॉकपीट विमान के क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का स्कीम मद में 211.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 230.18 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 441.18 करोड़ रू० है।

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों से विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा नागरिकों को अवगत कराया जाता है एवं उनकी प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराया जाता है। विशेष परिस्थिति में भ्रांति दूर कर नागरिकों में उचित संदेश देने का कार्य करते हुए

विशेष प्रचार अभियान के अन्तर्गत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ बिहार में विकास एवं निवेश के लिए वातावरण बनाने का प्रयास विभिन्न माध्यमों यथा आउटडोर पब्लिसिटी, विभिन्न विषयों पर वृत्तचित्र/फिल्म का निर्माण मीडिया, सोशल मीडिया आदि के द्वारा किया जाता है।

- विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र एवं **जनजातीय क्षेत्र उपयोजना** अंतर्गत अनुसूचित जन–जाति बाहुल्य क्षेत्रों में होर्डिंग/ फ्लैक्स/ फिल्म/ लोक गीत प्रदर्शनी/ नुक्कड़ नाटक एवं अन्य उचित माध्यमों के द्वारा सरकार की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने का कार्य किया जाता है।

- राज्य के प्रेस प्रतिनिधियों के लिए 36 जिला में प्रेस क्लब भवन बन गया है। शेष दो जिलों में यह कार्य प्रक्रियाधीन है।

- पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 737 पत्रकारों द्वारा कुल अंशदान राशि–18,21,127/– रुपये एवं सरकार द्वारा इस पर 72,84,508/– रुपये अंशदान राशि दी गई है।

- पत्रकार पेंशन योजना के अंतर्गत वर्त्तमान में 46 (छियालीस) वरिष्ठ मीडिया प्रतिनिधि ''पत्रकार सम्मान पेंशन योजना'' से लाभान्वित हो रहे है।

- **ई–विज्ञापन भुगतान सिस्टम** के माध्यम से विज्ञापन विपत्रों की भुगतान की प्रक्रिया सरल एवं सुविधाजनक हो गई है और भुगतान में हो रहे विलंब की समस्या भी समाप्त हो गई है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग का स्कीम मद में 101.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 133.92 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 234.92 करोड़ रू० है।

निर्वाचन विभाग

निर्वाचन विभाग, बिहार, का कार्य भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेशन, अधीक्षण एवं पर्यवेक्षण में भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, राज्यसभा/लोकसभा, विधान परिषद्/विधानसभा का शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन कराना है। वर्ष 2019 एवं 2020 में दिव्यांगजन निर्वाचकों को

निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में अभियान चलाकर 667370 लोगों को निर्वाचक सूची में जोड़ा गया है।

उक्त चिन्हित निर्वाचकों को मतदान के दिन मतदान में भाग लेने हेतु मतदान केन्द्र पर 12,564 Wheel Chair की व्यवस्था की गयी थी। साथ ही निःशक्त मतदाताओं को सहायता प्रदान करने हेतु सम्पूर्ण राज्य में 60,000 से अधिक सवयंसेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया। सम्पूर्ण भारत में बिहार दूसरा ऐसा राज्य है, जहाँ इतनी बड़ी संख्या में दिवयांगजन निर्वाचक चिन्हित किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में निर्वाचन विभाग का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 423.28 करोड़ रुपये है।

संसदीय कार्य विभाग

विभाग द्वारा विधान मण्डल से संबंधित कार्य यथा, विधान मण्डल का सत्राहूत/सत्रावसान, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना आदि महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन किया जाता है। केन्द्र प्रायोजित योजना–**नेशनल ई–विधान परियोजना** के अंतर्गत विधान सभा एवं विधान परिषद्, दोनों सदनों की संपूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यवाहियों को ऑनलाईन किया जाना है। इसमें कुल 10.02 करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस परियोजना को पूर्ण कर लिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष–2021–22 में संसदीय कार्य विभाग का स्कीम मद में 10.02 करोड़ रु0 तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 2.94 करोड़ रु0 कुल बजटीय उपबंध 12.96 करोड़ रु0 प्रस्तावित है।

समान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य कर्मियों की कार्य संरचना, सेवा शर्त, देय लाभ, सेवा पुस्तिका एवं उसमें संधारित अभिलेखों के डिजिटाईजेशन तथा सेवा संबंधित सुविधाएं सरलता से प्राप्त हो सके उसके लिए **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली** विकसित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष–2021–22 में सामान्य प्रशासन विभाग के लिए स्कीम मद में 128.50 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 656.47 करोड़ रूपये कुल 784.97 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

राज्य में कला एवं संस्कृति का एक लंबा इतिहास रहा है। इनके संवर्द्धन एवं संरक्षण के प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। स्वस्थ युवा समाज की संपति होते हैं एवं खेल कूद से स्वस्थ्य शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है इसलिए सरकार युवाओं में खेलकुद को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के स्कीम मद में 59.00 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 106.61 करोड़ रूपये कुल 165.61 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है।

विधि विभाग

आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्य की एन0डी0ए0 सरकार कटिबद्ध है। इस हेतु न्याय प्रशासन को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैंः–

- व्यवहार न्यायालय, भागलपुर में 10 कोर्ट भवन के उपर प्रथम तल पर एक अतिरिक्त तल का निर्माण कार्य हेतु कुल 03.76 करोड़ रूपये की नई प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसका निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रारम्भ होने की संभावना है।

- पटना हार्डिग रोड में न्यायाधीश आवास निर्माण कार्य हेतु कुल 02.12 करोड़ रूपये की नई प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसका निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रारम्भ होने की संभावना है।

- पटना उच्च न्यायालय परिसर में वाहन पार्किंग, बैंक, सूचना केन्द्र, क्रेच, रेल टिकट आरक्षण केन्द्र की व्यवस्था के निमित्त बहुउद्देशीय भवन निर्माण कार्य हेतु कुल 21.54 करोड़ रूपये की नई प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसका निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रारम्भ होने की संभावना है।

- व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद, छपरा, अरवल, पालीगंज, एवं कहलगाँव में कुल 68 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य प्रगति में है। साथ ही व्यवहार न्यायालय, बिरौल (दरभंगा), भोजपुर(आरा) एवं फारबिसगंज (अररिया) में कुल 34 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में है।

- राज्य के विभिन्न जिला/अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालयों यथा भभुआ, डेहरी, बेनीपट्टी, सुपौल, निर्मली, वीरपुर, महनार, खड़गपुर (मुंगेर), मधुबनी, झंझारपुर, सासाराम, दरभंगा, बेनीपुर, रोसड़ा, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज में लगभग 200 कोर्ट रूम निर्माण की योजना प्रस्तावित है।

- इसके अलावा 24 जिला/अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालयों में कोर्ट एवं आवासीय भवन का निर्माण हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है।

- व्यवहार न्यायालय, अरवल, भभुआ, डेहरी, फारबिसगंज, पालीगंज, कहलगांव एवं छज्जुबाग, पटना में कुल 164 न्यायिक पदाधिकारी आवास का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा मोतिहारी एवं नवादा में 13 न्यायिक पदाधिकारी आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में है।

- राज्य के विभिन्न जिला/अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालयों यथा अरवल, वीरपुर, निर्मली, जहानाबाद, खड़गपुर, झंझारपुर, मधुबनी, बगहा, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुझफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं मधेपुरा में लगभग 118 न्यायिक पदाधिकारी आवास निर्माण की योजना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में विधि विभाग का स्कीम मद में 3.39 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 1063.52 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 1066.91 करोड़ रू० है।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

शासन में सूचना संचार प्रावैधिकी का उपयोग कर राज्य सरकार सुशासन (Good Goverannce) को बढ़ावा दे रही है। इस हेतु पटना में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गयी है। BSWAN 2.0 के अंतर्गत राज्य के सभी जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय कार्यालय स्टेट डाटा सेंटर से जुड़े हुए है। SecLAN के माध्यम से सचिवालय के सभी कार्यालय स्टेट डाटा सेंटर से जुड़े हुए हैं। राज्य के सभी विभागों में कार्यरत सॉफ्टवेयर सिस्टम स्टेट डाटा सेंटर पर होस्टेड है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वाई–फाई के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जा रही है। C-DAC (सी–डैक) की एक शाखा पटना में स्थापित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में सूचना प्रावैधिकी विभाग का स्कीम मद में 240.00 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 37.19 करोड़ रूपये कुल प्राक्कलन 277.19 करोड़ रूपये है।

निगरानी विभाग

राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए राज्य प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। लोक निधि के दुरूपयोग को रोकने के साथ–साथ लोक निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। इस दिशा में वर्ष 2021 में निम्नांकित कार्य किये गये हैं।

- बिहार विशेष न्यायालय, 2009 (अधिनियम 5, 2010) की धारा 5(1) के तहत अवैध अर्जित सम्पत्ति के अधिहरण (Confiscation) हेतु विशेष न्यायालयों में 87 वाद दायर किये गये हैं, जिसमें कुल 84.12 करोड़ राशि निहित है।

- निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2020 में भ्रष्ट लोक सेवकों को ट्रैप के माध्यम से रंगे हाथ पकड़ने के 22 कांड, पद का दुरूपयोग संबंधित 04 कांड एवं प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित 06 कांड अर्थात कुल 32 कांड प्रतिवेदित हुए हैं।

- तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा वर्ष 2020 में 28 मामलों में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग के निर्माणाधीन 04 जिलों के पथों की औचक जाँच भी की गयी है, जिसमें प्राप्त त्रुटियों/सुझावों को तत्काल निराकरण/कार्यान्वित करने के लिए निगरानी विभाग द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग को निदेशित किया गया है।

- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु विभागीय एवं जिला स्तरीय निगरानी कोषांगों का गठन करने की कार्रवाई की गयी है।

वर्ष 2021–22 में निगरानी विभाग का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 44.34 करोड़ रू० है।

वित्त विभाग

वित्त विभाग की उपलब्धियाँ एवं कार्य योजना निम्नवत् हैः–

- सी0एफ0एम0एस0–1.0 लागू करने के बाद से राज्य के संपूर्ण वित्तीय संव्यवहार ऑनलाईन हो गये हैं। सी0एफ0एम0एस0 को और विकसित बनाने हेतु रू0 17.00 करोड़ की अतिरिक्त लागत के साथ सी0एफ0एम0एस0–2.0 लागू किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में सी0एफ0एम0एस0–2.0 तैयार हो जायेगा।

- वर्ष 2016 में राज्य में डी0बी0टी0 मिशन प्रारंभ किया गया था जिसमें ई–लाभार्थी पोर्टल विकसित किया गया। राज्य में ई–लाभार्थी एवं भारत सरकार के पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के सहयोग से डी0बी0टी0 के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धि उच्छी रहीं है। अधिक से अधिक विभागों को इसमें शामिल करने हेतु ई–लाभार्थी को उपग्रेड किया गया। इसके तहत राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा अपने लाभूकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर विकसित कराया गया है तथा ई–लाभार्थी से इंटीग्रेट किया गया जैसे मेधा सॉफ्ट, ई–कल्याण, ई–जननी आदि इसके परिणाम स्वरूप 2020–21में अबतक विभिन्न स्कीम के 6.85 करोड़ लाभूकों को कुल रूपये 14488.23 करोड़ का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया गया है। 2021–22 में सभी विभागों के लाभुक आधारित सभी योजनाओं को डी0बी0टी0 पोर्टल लाने का लक्ष्य है।

- सी0एफ0एम0एस0 में वित्तीय संव्यवहार से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को नये तरीके से विहित किया गया इसलिए बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार कोषागार संहिता, बिहार प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल, बिहार बजट मैनुअल, बिहार अडिट नियमावली को नये सिरे से अधिसूचित किया जायेगा।

- GEM पोर्टल पर अबतक 12 फरवरी 2021 तक कुल 1403 क्रेता एवं 21414 विक्रेता निबंधित हो चुके हैं। राज्य के विभिन्न कार्यालयों से 24875 क्रयादेश निर्गत किया गया है जिसमें 1793.1 करोड़ रूपये सन्निहित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य के क्षेत्रिय कार्यालयों के लिए भी GEM पोर्टल के माध्यम से खरीदारी को क्रमशः अनिवार्य किया जायेगा।

- दिनांक 01.09.2005 से नियुक्त राज्य कर्मियों को नेशनल पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत रखा गया है। अबतक राज्य में 1,79,492 कर्मियों को नेशनल पेंशन सिस्टम में निबंधित कराया गया है। कर्मियों के वेतन से अंशदानित राशि एवं राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की कुल राशि 7848.64 करोड़ रूपये का फंड अंतरण कर्मियों के पेंशन खाते में कर दिया गया है।

- राज्य साख योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में (द्वितीय तिमाही, सितम्बर, 2020 तक) बिहार के बैंकों द्वारा 154000 करोड़ रूपये के सालाना लक्ष्य के विरूद्ध 51,585 करोड़ रू0 का ऋण दिया गया जो लक्ष्य का 33.39 प्रतिशत है।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में (द्वितीय तिमाही, सितम्बर, 2020 तक) जमा राशि 3,87,824 करोड़ रू0 थी जबकि ऋण 1,58,826 करोड़ रू0 था एवं ऋण जमा अनुपात 43.11 प्रतिशत था।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में (द्वितीय तिमाही, सितम्बर, 2020 तक) निर्गत 8.39 लाख किसान क्रेडिट कार्ड में से 1,20,757 कार्ड नये निर्गत हुए हैं एवं शेष 7.18 लाख खातों का नवीनीकरण किया गया है।

- मुद्रा ऋण के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 में (द्वितीय तिमाही, सितम्बर, 2020 तक) 7.23 लाख व्यक्तियों को रू0 4329 करोड़ का ऋण वितरित किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में (द्वितीय तिमाही, सितम्बर, 2020 तक) प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत खोले गये 29.71 लाख खातों में 635 करोड़ रू0 जमा है। 30.09.2020 तक राज्य में समेकित रूप से 4.11 करोड़ जन–धन खातों में जमा राशि 11,403 करोड़ रू0 है।

- दिनांक 30.09.2020 को राज्य में 7620 बैंक शाखाएँ, 27,797 Banking Corespondence(BC) Agents, 6546 ATMs तथा 55,945 PoS Machine कार्यरत थी। इस तारीख तक कुल 6.26 करोड़ ATM Cards के निर्गत हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्कीम मद में 800.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 300.80 करोड कुल 1100.80 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सूद भुगतान के मद में 14517.41 करोड़, ऋण भुगतान मद में 9094.43 करोड़ तथा पेंशन मद में 21817.15 करोड़ रूपये का बजट प्रस्ताव है।

बजट 2021–22 का सारांश

- बिहार राज्य का बजट आकार वर्ष 2020–21 में 2,11,761 करोड़ रू० था तथा वर्ष 2021–22 में यह बढ़कर 2,18,303 करोड़ रूपये हो गया है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,00,000.00 करोड़ रूपये है, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान 1,05,262.34 करोड़ रूपये से 5,262.34 करोड़ रूपये कम है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,17,783.84 करोड़ रूपये है, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान 1,05,995.14 करोड़ रूपये से 11,788.70 करोड़ रूपये अधिक है।

- वर्ष 2021–22 में कुल व्यय का स्कीम व्यय 46.05 प्रतिशत तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 53.95 प्रतिशत है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल पूंजीगत व्यय 41,231.31 करोड़ रूपये अनुमानित किया गया है जो कि कुल व्यय का 18.89 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान 47,010.30 करोड़ रूपये से 5,778.99 करोड़ रूपये कम है, जिसमें:–

  पूंजीगत परिव्यय – वर्ष 2021–22 में 30,788.02 करोड़ रू० का पूंजीगत परिव्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें सामान्य सेवाओं में 4,549.9357 करोड़ रू०, सामाजिक सेवाओं में 7,905.0158 करोड़ रू० एवं आर्थिक सेवाओं में 18,333.0644 करोड़ रू० की राशि प्रस्तावित है।

  ऋण अदायगियाँ – वर्ष 2021–22 में 9,094.4325 करोड़ रू० की राशि ऋण के रूप में वापस की जानी है, जिसमें 1,481.2271 करोड़ रू० की राशि केन्द्र सरकार के ऋणों की है एवं 7,613.2054 करोड़ रू० की राशि पूर्व में लिये गये आंतरिक ऋणों (जिसमें बाजार ऋण की भी वापसी सम्मिलित है) से संबधित है।

  ऋण एवं पेशगियाँ – वर्ष 2021–22 में राज्य सरकार द्वारा 1,348.8601 करोड़ रू० का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यतः बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु 700.00 करोड़ रू०, ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 393.55 करोड़ रूपये, बिजली परियोजना के कम्पनियों को कर्ज के लिए 83.00 करोड़ रू० एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए 42.00 करोड़ रू० दिया जाना है। पूर्व में दिये गये ऋणों की वापसी से राज्य सरकार को 430.20 करोड़ रू० की राशि प्राप्त होना अनुमानित है। इस प्रकार कुल शुद्ध ऋण 918.66 करोड़ रू० दिया जाना प्रस्तावित है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल राजस्व व्यय 1,77,071.39 करोड़ रूपये अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 81.12 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान 1,64,751.19 करोड़ रूपये से 12,320.20 करोड़ रूपये अधिक है।

- वर्ष 2021–22 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर कुल 1,04,928.22 करोड़ रूपये व्यय होंगे जिसमें वेतन हेतु 28,821.20 करोड़ रूपये, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों के लिए वेतन अनुदान हेतु 26,286.26 करोड़ रूपये, संविदा कर्मियों के वेतन हेतु 4,391.77 करोड़ रूपये, पेंशन हेतु 21,817.15 करोड़ रूपये, ब्याज भुगतान हेतु 14,517.41 करोड़ रूपये एवं ऋण वापसी पर 9,094.43 करोड़ रूपये व्यय अनुमानित है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 1,86,267.29 करोड़ रूपये अनुमानित है जो कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान 1,83,923.99 करोड़ रूपये से 2,343.30 करोड़ रूपये अधिक है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य के अपने स्त्रोतों से कर राजस्व के रूप में 35,050.00 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है। जिसमें 27,050.00 करोड़ रूपये वाणिज्यकर, 5,000.00 करोड़ रूपये स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, 2,500.00 करोड़ रूपये परिवहन कर एवं 500.00 करोड़ रूपये भू–राजस्व से प्राप्त होगा।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य के अपने स्त्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 5,505.47 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है जो कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान 5,239.28 करोड़ रूपये की तुलना में 266.19 करोड़ रूपये अधिक है। इसमें खनन से 2,450.00 करोड़ रूपये, ब्याज प्राप्तियों से 2,108.10 करोड़ रूपये शामिल है।

- **ऋण उगाही** – वर्ष 2021–22 में 31,805.21 करोड़ रू० का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के आंतरिक ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण 26,233.88 करोड रू०, नाबार्ड से 2,400.00 करोड़ रू० का ऋण तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 271.33 करोड़ रू० का ऋण कुल 28,905.21 करोड़ रू० लिया जाना प्रस्तावित है। बाह्य संपोषित परियोजनाओं के लिए 2,900.00 करोड़ रू० का ऋण जाना प्रस्तावित है।

- **15वें वित्त आयोग** की अनुशंसा की प्रत्याशा में वर्ष 2021–22 में 8,850.00 करोड़ रू० की राशि में राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) के केन्द्रांश मद में 1,416.00 करोड़ रू०, पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 5,018.00 करोड़ रू०, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2,416.00 करोड़ रू० की राशि अनुमानित है।

- **षष्ठम् राज्य वित्त आयोग** के प्रतिवेदन की प्रत्याशा में स्थानीय निकायों को 3,751.74 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है जिसमें 1,898.69 करोड़ रूपये Devolution के रूप में तथा 1,853.05 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है। 3,751.74 करोड़ रूपये में पंचायती राज संस्थाओं को 2,626.22 करोड़ रूपये तथा शहरी स्थानीय निकायों को 1,125.52 करोड़ रूपये दिया जाना प्रस्तावित है।

- वर्ष 2019–20 में राजस्व अधिशेष 698.87 करोड़ रूपये रहा है। वर्ष 2020–21 में राजस्व अधिशेष 19,172.80 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2021–22 में 9,195.90 करोड़ रूपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 22,510.78 करोड़ रूपये राजकोशीय घाटा रहने का अनुमान है जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011–12 पर) 7,57,026.00 करोड़ रूपये का 2.97 प्रतिशत है।

केन्द्र सरकार से प्राप्ति

केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी साल 2019–20 में 63,406.33 करोड़ रूपये थी। वर्ष 2020–21 के पुनरीक्षित अनुमान में 78,896.44 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2021–22 में 91,180.60 करोड़ रूपये अनुमानित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य को केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 54,531.21 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान 52,754.10 करोड़ रूपये से 1,777.11 करोड़ रूपये अधिक है। वर्ष 2021–22 में अनुमानित 54,531.21 करोड़ रूपये की मदवार राशि निम्नवत् है–

क्रमांक	मद	राशि करोड़ रूपये में
1	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	42026.2836
2	15वें वित्त आयोग जिसमें	8850.0000
	(क) राज्य आपदा राहत कोष	1416.0000
	(ख) स्थानीय निकायों को अनुदान	7434.0000
3	जी०एस०टी० से होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति	3500.0000
4	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	154.9288
	कुल	**54531.2124**

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के लिए 518.86 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

ऋण प्रबंधन

- वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण GSDP का 56.36 प्रतिशत था। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण वर्ष 2019–20 के अन्त में कुल बकाया ऋण 1,90,898.85 करोड़ रूपये है जो राज्य के GSDP का 30.93 प्रतिशत है।

- अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए कर्णांकित राशि :– अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर व्यय होने वाली राशि को अलग से लघुशीर्ष में प्रदर्शित किया जाता है ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जातियों के समुदाय के सीधे लाभ के लिए ही किया जा सके और राशि का व्यय अन्यत्र नहीं किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुसूचित जातियों के लिए 16,777.74 करोड़ रूपये एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए 1,550.15 करोड़ रूपये प्रावधानित की गई है।

सर्वाधिक खर्च

राज्य सरकार वर्ष 2021–22 में शिक्षा पर 38,035.94 करोड़ रूपये व्यय करेगी।_राज्य की शहरी एवं ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग का 15,227.74 करोड़ रूपये, ग्रामीण विकास पर 16,835.67 करोड़ रूपये, पंचायतीराज पर 9,544.93 करोड़ रूपये एवं नगर विकास एवं आवास पर 7,767.13 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 13,264.87 करोड़ रूपये तथा समाज कल्याण विभाग एवं कमजोर वर्गों के पेंशन, आँगनबाड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित विभागों में 12,274.49 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैंने पूर्व में सरकार की उपलब्धियों तथा आने वाले वर्ष के विभागवार कार्यक्रमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आय–व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :–

क्र.सं.	विवरण	2020–21 का बजट पुनरीक्षित प्राक्कलन (करोड़ रूपये)	2021–22 का बजट प्राक्कलन (करोड़ रूपये)
1	कुल राजस्व प्राप्ति	1,74,239.83	1,86,267.29
2	राज्य सरकार का राजस्व	42,589.28	40,555.47
3	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	78,896.44	91,180.60
4	केन्द्र से प्राप्त सहायक अनुदान	52,754.10	54,531.21
5	राजस्व व्यय	1,79,426.40	1,77,071.39
6	राजस्व बचत (+)/घाटा(–)	-5,186.57	9,195.90
7	पूंजीगत प्राप्ति	38,057.23	32,235.41
8	पूंजीगत व्यय	46,031.65	41,231.31
9	कुल प्राप्ति	2,12,297.06	2,18,502.70
10	कुल व्यय	2,25,458.05	2,18,302.70
11	राजकोषीय घाटा	43,736.66	22,510.78

- **समेकित निधि में भारित राशि**– वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट में 23,905.12 करोड़ रूपये भारित मद में व्यय होनी प्रस्तावित है जिसमें सूद मद में 14,517.41 करोड़ रूपये, लोक ऋण की मूलधन वापसी में 9,094.43 करोड़ रूपये, निक्षेप निधि में 0.04 करोड़ रूपये, माननीय उच्च न्यायालय के व्यय हेतु 197.73 करोड़ रूपये, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 39.11 करोड़ रूपये, राज्यपाल सचिवालय हेतु 33.13 करोड़ रूपये, लोकायुक्त के लिए 7.61 करोड़ रूपये, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा बिहार विधान परिषद् के सभापति/उप सभापति के वेतन एवं भत्ते मद हेतु 1.46 करोड़ रूपये एवं माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों के सेवा निवृति लाभ मद में 14.18 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

- **राजकोषीय घाटा** :– राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किये गये है। वर्ष 2021–22 में राजकोषीय घाटा को कुल राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है। योजना एवं विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्र संख्या–1042 दिनांक–01.10.2020 से वित्तीय वर्ष 2021–22 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011–12 पर 7,57,026.00 करोड़ रूपये का बताया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट प्रावधान में जो राशि प्राप्ति एवं व्यय के लिए सम्मिलित की गयी है उसके अनुसार राजकोषीय घाटा 22,510.78 करोड़ रूपये का हो रहा है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है, यह निर्धारित 3 प्रतिशत की अधिसीमा के अंतर्गत है।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्यों ने मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता एवं असीम धैर्य का परिचय देते हुए सुना है इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं वर्ष 2021–22 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह बजट राज्य के लिए खुशहाली लायेगा।

उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है,
मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है।
वाकिफ कहाँ जमाना, हमारी उड़ान से,
वो और थे जो हार गये आसमां से।
रख हौसला, वो मंजर भी आएगा,
प्यासे के पास चलकर समन्दर भी आयेगा।
थक कर ना बैठ, ए–मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।

जय हिन्द,

जय बिहार

सात सामाजिक पापकर्म

- सिद्धांत के बिना राजनीति
- परिश्रम के बिना धन
- विवेक के बिना सुख
- चरित्र के बिना ज्ञान
- नैतिकता के बिना व्यापार
- मानवता के बिना विज्ञान
- त्याग के बिना पूजा

– महात्मा गाँधी

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com